[2020] 7 एस. सी. आर. 324

राणा नाहिद @रेशमा @सना और एएनआर।

वी.

साहिदुल हक चिश्ती

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 192)

18 जून, 2020

[आर. भानुमति और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-अध्याय IX-ss. 125-128 - याचिका यू/एस। 125 , तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा-में परिवर्तित

आवेदन यू / परिवार न्यायालय द्वारा धारा 3,1986 अधिनियम-अपीलार्थी सं। 1 और प्रत्यर्थी का विवाह मुस्लिम संस्कारों के अनुसार हुआ था-अपीलार्थी सं। 2 - बेटे का जन्म विवाह से हुआ था-अपीलार्थी नं. 1 , अपीलार्थियों ने यू/एस याचिका दायर की। 125 , सी. आर. पी. सी.-पारिवारिक न्यायालय ने इसे यू/आवेदन के रूप में माना धारा 3,1986 अधिनियम और प्रत्यर्थी को रखरखाव का भुगतान करने का निर्देश दिया-याचिका को यू/एस में परिवर्तित करने के लिए आदेश। 125 , आवेदन में सीआरपीसी यू / उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किए गए 1986 के अधिनियम की धारा 3-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः आर. भानुमति के अनुसार, जे. फैमिली कोर्ट के पास यू/एस. एस. याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। 3 और 4,1986 अधिनियम और रखरखाव के लिए याचिका को यू/में परिवर्तित नहीं कर सकते। s.125, Cr.P.C. से एक यू / एस. 3 या एस. 4 , 1986 अधिनियम-इंदिरा बनर्जी, जे. (असहमति) पारिवारिक न्यायालय के पास अपीलार्थी के आवेदन को परिवर्तित करने का अधिकार क्षेत्र था

यू / s.125, सीआरपीसी एक अनुप्रयोग में यू / धारा 3,1986 मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिनियम और उसी पर निर्णय लेने के लिए-मुस्लिम महिलाओं (मुस्लिम महिलाओं पर अधिकारों का संरक्षण)

तलाक) अधिनियम, 1986-एस. एस. 2-5 , 7- परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984-एस. 3 , 5-10 , 12-14 , 16 , 18 , 20 - भारत का संविधान-कला। 14 , 15 - क़ानूनों की व्याख्या-उद्देश्यपूर्ण व्याख्या; कैसस ओमिसस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908-साक्ष्य अधिनियम, 1872-अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संधियाँ-नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाचा (आई. सी. सी. पी. आर.); महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर समझौता 1979।

मामले को बड़ी पीठ को भेजने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश देते हुए,

अदालत

मामले को बड़ी पीठ को संदर्भित करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः पेर आर. बानुमथी, जे.

1.1 मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 उद्देश्य, उद्देश्य और दायरे से खुद को विचलित नहीं करता है। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रखरखाव के प्रावधान।

अधिनियम के प्रावधान संहिता के अध्याय IX के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। इस अधिनियम का प्रावधान तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए लाभकारी उपचार प्रदान करता है, जिसमें पूर्व पति को तलाकशुदा महिला को उचित और उचित प्रावधान प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। भरण-पोषण और यदि पति पर्याप्त कारण के बिना आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट भरण-पोषण की राशि लगाने के लिए वारंट जारी कर सकता है और उसे सजा दे सकता है -

एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास। महिला के करीबी रिश्तेदारों को भी अधिनियम की धारा 4 के तहत उत्तरदायी बनाया गया है। यदि रिश्तेदार उसे भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं, तो राज्य वक्फ बोर्ड को भी रखरखाव प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है।

जबकि दंड प्रक्रिया संहिता केवल भरण-पोषण की राहत प्रदान करती है, 1986 का अधिनियम तलाकशुदा महिला को अतिरिक्त रूप से, 'एक उचित और निष्पक्ष प्रावधान', दहेज की वसूली और वैवाहिक उपहारों की वापसी की राहत प्रदान करता है। [पैरा 11] [334-एफ-एच] [335-ए-बी]

1.2 1986 अधिनियम की धारा 3 इन शब्दों के साथ शुरू होती है

" तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक तलाकशुदा महिला 1986 अधिनियम की धारा 3 (1) के खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित अधिकारों की हकदार होगी। मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम ने अधिक अधिकार प्रदान किए होंगे लेकिन

अधिनियम धारा 125 Cr.P.C में कुछ भी निहित होने के बावजूद इन अधिकारों को प्रदान करता है। गैर-बाध्यकारी खंड को निष्पक्ष और यथोचित रूप से समझा जाना चाहिए। गैर-अवरोधक खंड को अधिक्रमण का प्रभाव लाने के लिए हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसे मौजूदा अधिकार को ध्वस्त करने या समाप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि विधायी इरादा स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट न हो। मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 5 तलाकशुदा मुस्लिम जोड़ों को "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प देती है" जिसका वे अधिनियम के तहत मामले की पहली सुनवाई में संयुक्त रूप से प्रयोग कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 5 पहली सुनवाई के चरण में पक्षों को मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की प्रयोज्यता से हटने और आपराधिक दंड के प्रावधानों द्वारा शासित होने में सक्षम बनाती है।

प्रक्रिया संहिता। अन्यथा, मजिस्ट्रेट को मुस्लिम महिला संरक्षण के प्रावधानों के अनुसार आवेदन से निपटना पड़ता है।

एक्ट करें। मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 7 संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित है। केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट [2020] 7 एस. सी. आर.

संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मुसलमान के प्रावधानों के अनुसार आवेदन का निपटारा किया जा सकता है। महिला संरक्षण अधिनियम। [पैरा 15,16] [338-ई-जी] [339-ए-ई]

डेनियल लतीफी और एक अन्य वी। भारत संघ (2001) 7 एस. सी. सी. 740 [2001] 3 पूरक। एससीआर 419; शबाना बानो बनाम। इमरान खान (2010) 1 एस. सी. सी. 666: [2009] 16 एससीआर 190 -

संदर्भित किया गया।

1.3 परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 को जनहित में परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था।

पारिवारिक विवादों का निपटान और यह 14.09.1984 पर लागू हुआ। अधिनियम की धारा 7 में परिवार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधान परिवार न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करते हैं। मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 (2) में प्रावधान है कि

मजिस्ट्रेट के पास आवेदन किया जा सकता है, लेकिन परिवार न्यायालय में नहीं। चूँकि मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 1986 परिवार न्यायालय को संदर्भित नहीं करता है या यह नहीं कहता है कि धारा 3 और 4 के तहत एक आवेदन परिवार न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है, इसलिए परिवार न्यायालय मुस्लिम महिला संरक्षण की धारा 3 और 4 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला के आवेदन पर विचार नहीं कर सकता है। अधिनियम, 1986। [पैरा 17,20 और 23] [339-ई-एफ] [341-एफ] [345-बी]

करीम अब्दुल रहमान शेख बनाम। शहनाज करीम शेख

और अन्य 2000 (3) Mh.L.J. 555-अनुमोदित।

अंजुम हसन सिद्दीकी बनाम। श्रीमती. सलमा बी. एयर 1992 ऑल

322 संदर्भित किया गया।

1.4 तलाकशुदा पत्नी द्वारा 1986 के अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत आवेदन सक्षम व्यक्ति के समक्ष दायर किया जाना है।

मजिस्ट्रेट के पास अधिकार क्षेत्र है यदि वह इद्दत अवधि से परे रखरखाव का दावा करती है। भले ही उस क्षेत्र में परिवार न्यायालय की स्थापना की गई हो, परिवार न्यायालय को मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत दायर आवेदन पर विचार करने के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के तहत अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया गया है, परिवार न्यायालय के पास 1986 के अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इसलिए परिवार न्यायालय याचिका को परिवर्तित नहीं कर सकता है।

धारा 3 राणा नाहिद @रेशमा @सना और ए. एन. आर. के तहत धारा 125 Cr.P.C के तहत रखरखाव।

वी. साहिदुल हक चिश्ती

या 1986 के अधिनियम की धारा 4। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि परिवार न्यायालय के पास 1986 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और परिवार न्यायालय धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका को परिवर्तित नहीं कर सकता है।

Cr.P.C. 1986 के अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के तहत। विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया गया है। [पारस 25,26] [345-ई-एच]

इकबाल बानो बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्न. (2007) 6

एससीसी 785: [2007] 7 एससीआर 949-प्रतिष्ठित।

मोहम्मद. अहमद खान बनाम। शाह बानो बेगम और अन्य (1985) 2 एस. सी. सी. 556 [1985] 3 एस. सी. आर. 844; डेनियल लतीफी और एक अन्य बनाम। भारत संघ (2001) 7 एससीसी 740: [2001] 3 पूरक। एससीआर 419; शबाना बानो बनाम। इमरान खान (2010) 1 एस. सी. सी. 666 [2009] 16 एस. सी. आर. 190-संदर्भित।

पर इंदिरा बनर्जी, जे। (असंवेदनशील)

1.1 परिवार न्यायालय अधिनियम एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो उसमें विचार किए गए मामलों पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो।

वादकारी पक्षकार। परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 3 में उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण (च) के साथ धारा 7 (1) को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित परिवार न्यायालय, जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ दीवानी न्यायालय द्वारा, वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत, भरण-पोषण के लिए किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का उपयोग करता है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 के तहत एक आवेदन शामिल होगा। [पैरा 7,10] [347-सी] [349-सी-डी]

1.2 पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 20, अपने गैर-बाध्यकारी खंड के साथ, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के प्रावधान देती है। किसी भी अन्य कानून पर प्रबल प्रभाव, जिसमें शामिल होगा

1986 मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिनियम। परिवार न्यायालय अधिनियम, उससे असंगत किसी भी बात के होते हुए भी, किसी अन्य कानून में निहित, कुछ समय के लिए लागू या प्रभावी किसी भी दस्तावेज में, परिवार न्यायालय अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी होगा। [2020] 7 एस. सी. आर. के बावजूद, धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण (च) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में परिवार न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुकदमे के पक्षकारों का धर्म या विश्वास। जहाँ भी परिवार न्यायालय का गठन किया जाता है, वहाँ ऐसा परिवार न्यायालय न केवल किसी जिला न्यायालय या अधीनस्थ दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करता है।

धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण (च) में निर्दिष्ट वाद और प्रकृति की अन्य कार्यवाहियों के संबंध में न्यायालय, अर्थात् वाद और भरण-पोषण के लिए अन्य कार्यवाहियों का भी प्रयोग करता है -

प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियाँ

Cr.P.C का अध्याय IX। [पैरा 24,27] [351-एफ-जी] [352-डी-ई]

1.3 आई. डी. 1. की धारा 125 एक लाभकारी कानून है, जिसे विशेष रूप से सामाजिक न्याय के उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तलाकशुदा पत्नी, एक बच्चे या माता-पिता सहित एक पत्नी को गरीबी और व्यभिचार के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है। यह खंड एक सरल त्वरित उपचार प्रदान करता है।

अन्य रूप से, एक तलाकशुदा पत्नी सहित एक पत्नी के लिए, जिसे उसके पति/पूर्व पति द्वारा उपेक्षित किया जाता है, भले ही उसके पास उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त साधन हों। ऐसी पत्नी या तलाकशुदा पत्नी मजिस्ट्रेट से भरण-पोषण का आदेश प्राप्त कर सकती है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 का अधिनियम उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है, जिनका अपने पतियों द्वारा तलाक हो चुका है या जिन्होंने तलाक ले लिया है और उनसे संबंधित मामलों का प्रावधान करने के लिए या आनुषंगिक। [पारस 35,39] [355-ई-जी] [356-डी-ई]

विजय कुमार प्रसाद बनाम। बिहार राज्य (2004) 5 एस. सी. सी. 196; ज़ोहरा खातून और अन्र। वी. मोहम्मद. इब्राहिम (1981) 2 एससीसी 509: [1981] 2 एस. सी. आर. 910; मो. अहमद खान बनाम। शाह बानो बेगम और अन्य (1985) 2 एस. सी. सी. 556:

[1985] 3 एस. सी. आर. 844-संदर्भित।

1.4 इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि महिलाओं और पुरुषों से संबंधित व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों के संबंध में अकेले परिवार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। मुस्लिम महिलाओं के विवाह, तलाक आदि से संबंधित पारिवारिक मामलों का निर्णय परिवार न्यायालयों द्वारा किया जाता है, साथ ही मुस्लिम पत्नियों के भरण-पोषण के दावों पर भी Cr.P.C की धारा 125 के तहत निर्णय लिया जाता है। तलाकशुदा मुस्लिम पत्नियों को परिवार न्यायालयों में प्रवेश से वंचित करने का कोई कारण नहीं हो सकता है, और यह कभी भी मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम का विधायी इरादा नहीं था। कानून के समक्ष समानता और संविधान के अनुच्छेद 14 में परिकल्पित कानूनों का समान संरक्षण।

भारत का संविधान प्रक्रियात्मक कानूनों पर उतना ही लागू होता है जितना कि राणा नाहिद @रेशमा @सना और एएनआर पर लागू होता है।

वी. साहिदुल हक चिश्ती

मूल कानून। मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) में गैर-अस्थाई खंड, प्रभावी और सार रूप में, यह प्रदान करता है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला केवल इस अधिकार का हकदार होगीः

मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) में प्रदान किए गए रखरखाव, Cr.PC की धारा 125 सहित किसी भी अन्य कानून के बावजूद। [पैरा 48,49 और 55] [359-जी-एच] [360-ए-बी]

[362 - ई-एफ]

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम। अनवर अली सरकार एयर 1952 एससी 75: [1952] एससीआर 284; डी. के. यादव बनाम जे. एम. ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड (1993) 3 एससीसी 259: [1993] 3 एससीआर 930; लक्ष्मण दास बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर 1963 एस. सी. 222: [1963] 2 एससीआर 353; मीनाक्षी मिल्स बनाम। विश्वनाथ शास्त्री ए. आई. आर 1955 एस. सी. 13: [1955] 1 एस. सी. आर. 787; बुधन चौधरी बनाम। बिहार राज्य ए. आई. आर 1955 एस. सी. 191: [1955] 1 एससीआर 1045 - पीछा किया।

रखरखाव के लिए सभी मुकदमों और कार्यवाहियों के संबंध में, किसी भी जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ दीवानी न्यायालय द्वारा, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता। पारिवारिक न्यायालय को भी स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया है रखरखाव से संबंधित Cr.P.C के अध्याय IX के तहत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 (2) (बी) के तहत, परिवार न्यायालय ऐसी अन्य अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है जो उसे किसी अन्य अधिनियम द्वारा प्रदान की जा सकती है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम के अधिनियमन से बहुत पहले अधिनियमित परिवार न्यायालय अधिनियम ने स्पष्ट रूप से बाद के कानून पर विचार नहीं किया। इसलिए, [2020] 7 एस. सी. आर. का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है।

1986 परिवार न्यायालय अधिनियम में मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिनियम। [पारस 56,58 और 59] [362-जी-एच] [363-बी-डी]

1.6 मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 का अधिनियम अनिवार्य रूप से एक नागरिक कानून है, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण-पोषण का प्रावधान करता है न कि एक आपराधिक क़ानून। मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम में किसी भी चूक के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है जो एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को उक्त अधिनियम के तहत भरण-पोषण के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम का दंडात्मक प्रावधान केवल उक्त अधिनियम की धारा 31 के तहत एक आदेश के अनुपालन को लागू करने के लिए है। कारावास की सजा केवल भरण-पोषण के आदेश का पालन न करने के लिए है। धारा 3 (2) और 1986 अधिनियम की अन्य धाराओं में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, एक दीवानी न्यायालय माना जाता है।

जिला न्यायालय के अधीनस्थ। [पैरा 66] [365-बी-डी] 1.7 मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम का इरादा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को वादी से वंचित करने का कभी नहीं था

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की अनुकूल प्रक्रियाएँ और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के भरण-पोषण के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र के पारिवारिक न्यायालयों को अस्वीकार करती हैं। परिवार न्यायालय ने मुस्लिमों के लिए 1986 अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत एक आवेदन पर विचार करने के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के तहत अधिकार क्षेत्र

महिलाएँ, क्योंकि इस तरह के आवेदन से निपटने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय को जिला न्यायालय के अधीनस्थ दीवानी न्यायालय माना जाना है। की एक शाब्दिक और कठोर व्याख्या

अपने पतियों से भरण-पोषण की मांग करने वाली तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को एकल करने के लिए "अधीनस्थ दीवानी न्यायालय", परिवार न्यायालयों तक पहुंच जब अन्य सभी महिलाएं चाहे तलाकशुदा हों या नहीं और यहां तक कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी परिवार न्यायालयों का दरवाजा खटखटा सकती हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। परिवार न्यायालय के पास मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 के तहत Cr.P.C की धारा 125 के तहत अपीलार्थी के आवेदन को एक आवेदन में परिवर्तित करने और उसी पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था। [पारस 68-71,79] [365-G-H] [366-B-D] [368-B]

आना नाहिद @रेशमा @सना और एएनआर। वी. साहिदू हक चिश्ती

इकबाल बानो बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा (2007) 6 एस. सी. सी.

785 : [2007] 7 एस. सी. आर. 949; तीरथ सिंह बनाम बचित्तर सिंह

ए. आई. आर. 1955 एससी 830: [1955] 2 एस. सी. आर. 457-पर निर्भर। मॉडर्न स्कूल वी। भारत संघ (2004) 9 एससीसी 741:

[2004] 3 एस. सी. आर. 1161-संदर्भित।

सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम एशर (1949) 2 ऑल ई. आर.

155 - संदर्भित किया गया।

आर. भानुमति के निर्णय में, जे.

[2007] 7 एससीआर 949

प्रतिष्ठित

पैरा 3

[1985] 3 एससीआर 844

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

[2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 419 संदर्भित

पैरा 13

[2009] 16 एससीआर 190

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

इंदिरा बनर्जी के निर्णय में, जे।

(असहमति)

(2004) 5 एस. सी. सी 196

पैरा 36

संदर्भित किया गया है

[1981] 2 एससीआर 910

संदर्भित किया गया है

पैरा 36

[1985] 3 एससीआर 844

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

[1952] एससीआर 284

पीछा किया।

पैरा 49

[1993] 3 एससीआर 930

पीछा किया।

पैरा 49

[1963] 2 एससीआर 353

पीछा किया।

पैरा 50

[1955] 1 एससीआर 787

पीछा किया।

पैरा 53

[1955] 1 एससीआर 1045

पीछा किया।

पैरा 54

[2007] 7 एससीआर 949

उस पर भरोसा करें

पैरा 63

[1978] 3 एससीआर 207

पीछा किया।

पैरा 74

[1955] 2 एससीआर 457

उस पर भरोसा करें

पैरा 77

[2004] 3 एससीआर 1161

संदर्भित किया गया है

पैरा 78

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः क्रिमिनल एपिया

£ 2011 .

उच्च के 28.07.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश से (

राजस्थान के लिए चित्र, एस. बी. क्राइन में जयपुर, जयपुर में बेंच

2009 की याचिका संख्या 295।

20] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुनील कुमार सिंह, रामेश्वर प्रसाद गोयल, पुनीत जैन, हर्ष जैन, अभिनव गुप्ता और सुश्री प्रतिभा जैन, अधिवक्ता। प्रकट होने के लिए

पार्टियाँ।

न्यायालय के निर्णय/आदेश उनके द्वारा दिए गए/पारित किए गए थे

आर. भानुमति, जे.

1. यह अपील एस. बी. आपराधिक संशोधन में जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ द्वारा पारित दिनांक 28.07.2010 के फैसले से उत्पन्न होती है।

2. जिस मामले के कारण यह अपील दायर की गई, उसके संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी संख्या 1-राणा नाहिद @रेशमा @ सना और प्रतिवादी साहिदुल हक चिश्ती को मुस्लिम संस्कारों के अनुसार 08-03-1998 पर सम्मानित किया गया था और अपीलार्थी संख्या 2-बेटे का जन्म विवाह से हुआ था। यह आरोप लगाते हुए कि अपीलार्थी संख्या 1 को अतिरिक्त दहेज के लिए क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और उसे अदालत से बाहर निकाल दिया गया।

वैवाहिक गृह, अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी के खिलाफ धारा 125 Cr.P.C के तहत एक याचिका दायर की। इसके बाद, 24-03-2008 पर, अपीलार्थी सं. 1

प्रतिवादी-साहिदुल द्वारा 23-04-2008 पर दिए गए तलाक के आधार पर याचिका में संशोधन किया गया। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी राजकीय मोइनिया वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अजमेर में व्याख्याता के रूप में काम कर रहा है और लगभग 1,000/- प्रति माह की राशि अर्जित कर रहा है और वह "मेहमनी की दरगाह" में भी काम करता है जहाँ से वह 1,000/प्रति माह कमाता है और इस प्रकार उसने उसके रखरखाव के लिए 6,000/- रुपये प्रति माह और उसके बेटे-अपीलार्थी संख्या 2 के रखरखाव के लिए 2,500/- रुपये प्रति माह के रखरखाव का दावा किया। प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया है कि वह सरकार में व्याख्याता है। नौकरी और प्रति माह Rs.18,500/- का वेतन प्राप्त करता है।

3. पारिवारिक न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अपीलार्थी संख्या 1 एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला है, इसलिए धारा 125 Cr.P.C के तहत भरण-पोषण के लिए उसकी याचिका विचारणीय नहीं है। परिवार न्यायालय ने उक्त आवेदन को मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 (मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम) की धारा 3 के तहत इकबाल बानो बनाम में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में आवेदन के रूप में माना। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र. (2007) 6 एससीसी 785।

पारिवारिक अदालत ने राणा नाहिद @रेशमा @सना और ए. एन. आर. को आदेश दिया। वी. साहिदुल हक चिश्ती [आर. भानुमती, जे.]

4. भरण-पोषण की मात्रा से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 295 दायर की रखरखाव में वृद्धि के लिए जयपुर में। प्रतिवादी ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ 2009 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 221 भी दायर की। जबकि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित था, रु। 1,00,000 / - प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 को भुगतान किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 125 Cr.P.C के तहत आवेदन परिवार न्यायालय के समक्ष किया गया था, जिसके पास मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 3 के तहत आवेदन को आवेदन में परिवर्तित करने का परिवार न्यायालय का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और उन निष्कर्षों पर परिवार न्यायालय के आदेश को उस हद तक दरकिनार कर दिया गया है और प्रतिवादी द्वारा पसंद किए गए संशोधन की अनुमति दी गई है।

हालाँकि, अपीलार्थी संख्या 1 को 1986 के अधिनियम की धारा 3 के तहत सक्षम मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

जहाँ तक अपीलार्थी संख्या 1 को पहले से ही भुगतान की गई एक लाख रुपये की राशि है, उसे अधिनियम की धारा 3 के तहत आवेदन के अंतिम परिणाम के अधीन इसे बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या 2 को दी गई रखरखाव राशि को बरकरार रखा।

5. अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि परिवार न्यायालय के पास धारा 3 के तहत मामलों का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र है।

मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम और उच्च न्यायालय ने इसे दरकिनार करना सही नहीं था और अपीलार्थी संख्या 1 को मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत आवेदन दायर करने का निर्देश देने में गलती की।

6. दलीलों का खंडन करते हुए, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि धारा 125 Cr.P.C के तहत एक आवेदन नहीं किया जा सकता है।

एक तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी द्वारा बनाए रखा जाता है जब तक कि दोनों की सहमति न हो कि पति और तलाकशुदा पत्नी को मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के अनुसार धारा 125 Cr.P.C द्वारा शासित किया जाए। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि परिवार न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 3 के तहत आवेदनों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दायर करने का अधिकार क्षेत्र मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम को नहीं दिया गया है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 (2) (बी) के तहत पारिवारिक न्यायालय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, विचार के लिए सवाल यह है कि क्या पारिवारिक अदालत के पास मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत भरण-पोषण के लिए मुस्लिम तलाकशुदा महिला द्वारा दायर आवेदन पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है।

8. दलीलों की उचित सराहना के लिए, हम उपयोगी रूप से अधिनियम के प्रावधानों और उन अधिनियमों की उत्पत्ति का उल्लेख कर सकते हैं जो हमारे सामने विचाराधीन हैं।

9. मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, एक तलाकशुदा महिला को केवल इद्दत अवधि के दौरान भरण-पोषण दिया जा सकता था और बाद में नहीं। मोहम्मद में। अहमद खान बनाम। शाह बानो बेगम और अन्य (1985) 2 एस. सी. सी. 556, सुप्रीम कोर्ट ने धारा के तहत मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी के अधिकार को बरकरार रखा।

125 Cr.P.C. क्योंकि धारा 125 (1) Cr.P.C के स्पष्टीकरण (बी) में तलाकशुदा पत्नी को तब तक शामिल किया गया है जब तक कि वह फिर से शादी नहीं कर लेती। शाह बानो मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने

अदालत ने माना है कि एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, वह इद्दत अवधि समाप्त होने के बाद भी धारा 125 Cr.P.C के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। 10. शाह बानो मामले के बाद, मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (संक्षेप में 'मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम') को 19.05.1986 से लागू किया गया था, जिसके अनुसार एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला न केवल अपने पूर्व पति से इद्दत अवधि के लिए भरण-पोषण की हकदार है, बल्कि भविष्य के लिए एक उचित और निष्पक्ष प्रावधान भी है। मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की प्रस्तावना इस प्रकार हैः

" मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक अधिनियम जो अपने पतियों द्वारा तलाकशुदा हैं या तलाक प्राप्त कर चुकी हैं और उनसे जुड़े या आकस्मिक मामलों का प्रावधान करने के लिए।

11. मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 प्रावधानों के उद्देश्य, उद्देश्य और दायरे से खुद को विचलित नहीं करता है।

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रखरखाव। अधिनियम के प्रावधान संहिता के अध्याय IX के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं। इस अधिनियम का प्रावधान पूर्व पति को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाकर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए लाभकारी उपाय प्रदान करता है

उचित और निष्पक्ष प्रावधान के साथ तलाकशुदा महिला भरण-पोषण प्रदान करने के अलावा और जहां पति पर्याप्त कारण के बिना आदेश का पालन करने में विफल रहता है, मजिस्ट्रेट भरण-पोषण की राशि वसूलने के लिए वारंट जारी कर सकता है और उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है। महिला के करीबी रिश्तेदारों को भी राणा नाहिद @रेशमा @सना और एएनआर बनाया गया है।

वी. साहिदुल हक चिश्ती [आर. भानुमती, जे.]

अधिनियम की धारा 4 के तहत उत्तरदायी। यदि रिश्तेदार उसे भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं, तो राज्य वक्फ बोर्ड को भी रखरखाव प्रदान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। जबकि दंड प्रक्रिया संहिता केवल भरण-पोषण की राहत प्रदान करती है, 1986 का अधिनियम तलाकशुदा महिला को प्रदान करता है,

इसके अतिरिक्त, 'एक उचित और निष्पक्ष प्रावधान', दहेज की वसूली और वैवाहिक उपहारों की वापसी की राहत।

12. अधिनियम, 1986 की महत्वपूर्ण धारा धारा 3 है जो यह प्रावधान करती है कि एक तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से प्राप्त करने की हकदार है। पति "रखरखाव", "उचित और निष्पक्ष प्रावधान" और "महर" आदि। मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) और धारा 3 (2) निम्नानुसार हैः

" 3. मुस्लिम महिला की महर या अन्य संपत्तियां दी जानी चाहिए। तलाक के समय उसे। - (1) किसी भी बात के बावजूद

उस समय लागू किसी अन्य कानून में निहित, एक तलाकशुदा महिला का अधिकार होगा -

(क) उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत अवधि के भीतर उसे उचित और उचित प्रावधान और भरण-पोषण किया जाना और भुगतान किया जाना;

(2) जहां कोई उचित और निष्पक्ष प्रावधान और भरण-पोषण या देय महर या दहेज की राशि का भुगतान या भुगतान नहीं किया गया है या उप-धारा (1) के खंड (डी) में निर्दिष्ट संपत्तियों को तलाकशुदा महिला को उसके तलाक पर नहीं दिया गया है, वह या कोई अन्य व्यक्ति

उसके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति, उसकी ओर से, ऐसे प्रावधान के भुगतान के आदेश के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है और

रखरखाव, महर या डावर या संपत्तियों का वितरण, के रूप में

मामला हो सकता है "।

मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला न केवल अपने पूर्व पति से इद्दत की अवधि के लिए भरण-पोषण की हकदार है, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक उचित और निष्पक्ष प्रावधान की भी हकदार है। अधिनियम की धारा 3 के शब्दों से संकेत मिलता है कि पति के दो अलग और विशिष्ट दायित्व हैंः (1) उसकी तलाकशुदा पत्नी के लिए "उचित और उचित प्रावधान" करना; और (2) उसके लिए "भरण-पोषण" प्रदान करना। अधिनियम की धारा 3 निवारण के लिए मंच और आदेश को निष्पादित करने के तरीके को निर्धारित करती है। यह अधिनियम प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को एक मुस्लिम महिला द्वारा अधिनियम के तहत एक आवेदन पर विचार करने के लिए विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है जहां वह रहती है।

13. डेनियल लतीफी और एक अन्य वी। भारत संघ, (2001) 7 एस. सी. सी. 740, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने [2020] 7 एस. सी. आर. पर विचार किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुस्लिम महिला (तलाक पर संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों की वैधानिक वैधता और अधिनियम के प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

" 27. अधिनियम की धारा 3 (1) में प्रावधान है कि एक तलाकशुदा महिला अपने पति से एक उचित और उचित भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी, जिसे इद्दत अवधि के भीतर किया जाना है और उसे भुगतान किया जाना है। धारा 3 (2) के तहत मुस्लिम तलाकशुदा मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर कर सकती है यदि पूर्व पति ने उसे उचित और उचित प्रावधान और भरण-पोषण या महर का भुगतान नहीं किया है या उसे दी गई संपत्तियों को वितरित नहीं किया है। विवाह से पहले या उसके रिश्तेदारों, या दोस्तों, या पति या उसके किसी रिश्तेदार या दोस्त द्वारा। धारा 3 (3) में ऐसी प्रक्रिया का प्रावधान है जिसमें मजिस्ट्रेट निर्देश देने वाला आदेश पारित कर सकता है।

पूर्व पति तलाकशुदा महिला की आवश्यकताओं, विवाह के दौरान उसके द्वारा उपभोग किए जाने वाले जीवन स्तर और उसके पूर्व पति के साधनों को ध्यान में रखते हुए तलाकशुदा महिला को ऐसा उचित और उचित प्रावधान और भरण-पोषण का भुगतान करेगा जो वह उचित और उचित समझे। तलाकशुदा मुसलमान की न्यायिक प्रवर्तनीयता

अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) के तहत महिला के प्रावधान और रखरखाव के अधिकार को पति की शर्त के अधीन किया गया है।

पर्याप्त साधन होना, जो कड़ाई से कहें तो मुस्लिम कानून के सिद्धांतों के विपरीत है क्योंकि इद्दत अवधि के दौरान भरण-पोषण का भुगतान करने का दायित्व बिना शर्त है और पति के वित्तीय साधनों द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता है। अधिनियम का उद्देश्य मुस्लिम पति को अपनी पूर्व पत्नी को भरण-पोषण के भुगतान से बचने की अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की अनुमति देना प्रतीत होता है।

तलाक और इद्दत की अवधि।

" 29.अधिनियम की महत्वपूर्ण धारा धारा 3 है जो यह प्रावधान करती है कि एक तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति से "भरण-पोषण", "प्रावधान" और "महर" प्राप्त करने और उसके कब्जे से अपने शादी के उपहार और दहेज की वसूली करने की हकदार है। इन राशियों या संपत्तियों के भुगतान या बहाली का आदेश देने के लिए मजिस्ट्रेट। इस मामले का सार यह है कि तलाकशुदा महिला अपने पूर्व पति द्वारा इद्दत अवधि के भीतर उसे दिए जाने वाले उचित और निष्पक्ष प्रावधान और भरण-पोषण की हकदार होगी। अधिनियम की धारा 3 के शब्द संकेत करते प्रतीत होते हैं

कि पति के दो अलग और विशिष्ट दायित्व हैंः

(1) राणा नाहिद @रेशमा @सना और एएनआर को। वी. साहिदुल हक चिश्ती [आर. भानुमती, जे.]

उसकी तलाकशुदा पत्नी के लिए "उचित और उचित प्रावधान" करना; और (2) उसके लिए "भरण-पोषण" प्रदान करना। इस खंड पर जोर

ऐसे किसी "प्रावधान" की प्रकृति या अवधि पर नहीं है या " रखरखाव ", लेकिन उस समय के लिए जिसके द्वारा एक व्यवस्था

प्रावधान और रखरखाव का भुगतान किया जाना चाहिए,

अर्थात् "इद्दत अवधि के भीतर"। यदि प्रावधान इस प्रकार पढ़े जाते हैं,

अधिनियम इद्दत के बाद की अवधि के लिए दायित्व से बाहर होगा

एक ऐसे पुरुष को भरण-पोषण जो पहले ही अपनी पत्नी को एकमुश्त राशि का भुगतान करके "उचित और उचित प्रावधान" और "भरण-पोषण" दोनों के अपने दायित्वों का निर्वहन कर चुका है, इसके अलावा अपनी पत्नी को महर का भुगतान कर चुका है और धाराओं के अनुसार उसके दहेज को बहाल कर चुका है।

3 (1) (ग) और अधिनियम के 3 (1) (घ)। .....

99

30. इन प्रावधानों की तुलना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से की जाएगी। यह स्पष्ट करें कि धारा 125 में प्रदान की गई आवश्यकताएँ और

उद्देश्य, उद्देश्य और उसके दायरे द्वारा भटकाव को रोकने के लिए जो लोग ऐसा कर सकते हैं उन्हें उन लोगों का समर्थन करने के लिए मजबूर करना जो अपना समर्थन करने में असमर्थ हैं और जिनके पास समर्थन करने का सामान्य और वैध दावा है, वे संतुष्ट हैं। यदि ऐसा है तो याचिकाकर्ताओं का तर्क

कि अधिनियम के तहत एक अलग योजना प्रदान की जा रही है जो है हमारे द्वारा रखी गई व्याख्या पर समान रूप से या अधिक फायदेमंद

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान किया गया प्रावधान वंचित करता है

वे अपने अधिकार से अपना महत्व खो देते हैं। का उद्देश्य और दायरा

धारा 125 सी. आर. पी. सी. उन लोगों को मजबूर करके लापरवाही को रोकने के लिए है।

जो उन लोगों का समर्थन करने के लिए बाध्य हैं जो करने में असमर्थ हैं अपना समर्थन करें और उस उद्देश्य को पूरा करना, हमें मुश्किल लगता है

याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किए गए तर्क को स्वीकार करना।

[रेखांकित करना जोड़ा गया]

संविधान पीठ ने अधिनियम के प्रावधानों को बरकरार रखा। लेकिन संविधान पीठ ने इस सवाल पर आधिकारिक रूप से निर्णय नहीं लिया कि क्या

मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भरण-पोषण के लिए तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र परिवार न्यायालय के पास होगा।

14. 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) के तहत, तलाकशुदा व्यक्ति एक उचित और निष्पक्ष प्रावधान और भरण-पोषण प्राप्त करने का हकदार है और

इद्दत अवधि के भीतर उसे भुगतान किया। 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "एक निष्पक्ष और उचित प्रावधान और रखरखाव" का अर्थ निकालने पर, दानियाल लतीफी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष का सारांश इस प्रकार दिया है:

" 36. अधिनियम की वैधता को बनाए रखते हुए, हम अपना सारांश दे सकते हैं निष्कर्ष निकालनाः

(1)

एक मुसलमान पति उचित और निष्पक्ष होने के लिए उत्तरदायी है।

तलाकशुदा पत्नी के भविष्य के लिए प्रावधान जिसमें स्पष्ट रूप से उसका भरण-पोषण भी शामिल है। इद्दत अवधि से आगे का ऐसा उचित और निष्पक्ष प्रावधान पति द्वारा अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) के संदर्भ में इद्दत अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। मुसलमान पति का अपनी तलाकशुदा पत्नी के प्रति दायित्व

(2)

अधिनियम की धारा 3 (1) (ए) के तहत रखरखाव का भुगतान इद्दत अवधि तक सीमित नहीं है।

(3)

एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है और जिसने

इद्दत अवधि के बाद खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, उसके रिश्तेदारों के खिलाफ अधिनियम की धारा 4 के तहत प्रदान की गई कार्रवाई कर सकती है जो उसे अनुपात में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं

संपत्ति जो उन्हें मुस्लिम कानून के अनुसार उनकी मृत्यु पर ऐसी तलाकशुदा महिला से विरासत में मिलती है, जिसमें वह भी शामिल है। बच्चे और माता-पिता। यदि कोई रिश्तेदार रखरखाव का भुगतान करने में असमर्थ है, तो मजिस्ट्रेट अधिनियम के तहत स्थापित राज्य वक्फ बोर्ड को इस तरह के रखरखाव का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

(4)

अधिनियम के प्रावधान अनुच्छेद 14,15 और 21 भारत के संविधान "।

15. 1986 अधिनियम की धारा 3 इन शब्दों के साथ शुरू होती है कि "कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद", एक तलाकशुदा महिला 1986 अधिनियम की धारा 3 (1) के खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित अधिकारों की हकदार होगी। मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम ने भले ही अधिक अधिकार प्रदान किए हों, लेकिन अधिनियम धारा 125 में कुछ भी निहित होने के बावजूद इन अधिकारों को प्रदान करता है। गैर-अवरोधक खंड को अधिक्रमण का प्रभाव लाने के लिए हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसे मौजूदा अधिकार को ध्वस्त करने या समाप्त करने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी

चाहिए जब तक कि विधायी इरादा स्पष्ट, स्पष्ट और स्पष्ट न हो। शबाना बानो बनाम। इमरान खान (2010) 1 एस. सी. सी. 666, सर्वोच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि भले ही मुस्लिम पत्नी का तलाक हो गया हो। जिस अवधि के दौरान भरण-पोषण के लिए उसका आवेदन लंबित है, वह धारा 125 Cr.P.C के तहत अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार होगी। इसलिए, मामले को कानून के अनुसार इसके गुण-दोष के आधार पर निपटाने के लिए परिवार न्यायालय में भेज दिया गया है।

16. हम मुस्लिम महिलाओं की धारा 5 का भी उल्लेख कर सकते हैं।

प्रक्रिया, 1973 "जिसका वे अधिनियम के तहत मामले की पहली सुनवाई में संयुक्त रूप से प्रयोग कर सकते थे। अधिनियम की धारा 5 पहली सुनवाई के चरण में पक्षों को मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की प्रयोज्यता से हटने और प्रावधानों द्वारा शासित होने में सक्षम बनाती है। दंड प्रक्रिया संहिता। मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 5 के तहत, पहली सुनवाई की तारीख को, एक तलाकशुदा महिला और उसका पूर्व पति यह घोषणा कर सकते हैं कि वे संहिता की धारा 125 से 128 द्वारा शासित होना पसंद करते हैं और फिर मजिस्ट्रेट को तदनुसार आवेदन का निपटारा करना होता है। अन्यथा, मजिस्ट्रेट को मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन से निपटना पड़ता है। मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 7 संक्रमणकालीन प्रावधानों से संबंधित है। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के प्रारंभ पर मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित धारा 125 या संहिता की धारा 127 के तहत एक तलाकशुदा महिला द्वारा आवेदन,

उस संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अधीन, ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा। इससे कानूनी प्रावधान बहुत स्पष्ट हो जाता है। अर्थात् संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ही मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन का निपटारा कर सकता है।

17. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 जनहित में बनाया गया था।

पारिवारिक विवादों के त्वरित निपटारे के लिए पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना के लिए और यह 14.09.1984 पर लागू हुआ। अधिनियम की धारा 7 में परिवार न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 7 और 8 निम्नानुसार हैः

" 7. क्षेत्राधिकार। — (1) इसके अन्य प्रावधानों के अधीन

अधिनियम, एक परिवार न्यायालय - किसी के द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले सभी अधिकार क्षेत्र हैं और उनका प्रयोग करते हैं

(अ)

मुकदमों और कार्यवाहियों के संबंध में तत्काल लागू किसी भी कानून के तहत जिला अदालत या कोई अधीनस्थ दीवानी अदालत

स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति का; और

(ख)

ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए माना जाएगा

ऐसी विधि के अधीन जिला न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, [2020] 7 एस. सी. आर. होना।

उस क्षेत्र के लिए ऐसा अधीनस्थ दीवानी न्यायालय जिसके लिए

परिवार न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार होता है।

स्पष्टीकरण। — इसमें निर्दिष्ट वाद और कार्यवाहियां

उप-धारा निम्नलिखित प्रकृति के वाद और कार्यवाहियाँ हैं,

अर्थात्:

(क) विवाह की निरस्तीकरण की डिक्री (विवाह को अमान्य घोषित करना या, जैसा भी मामला हो, विवाह को रद्द करना) या वैवाहिक अधिकारों की बहाली या न्यायिक अलगाव के लिए विवाह के पक्षों के बीच एक मुकदमा या कार्यवाही या

विवाह का विघटन;

(ख) विवाह की वैधता या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के बारे में घोषणा के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही; (ग) पक्षकारों या उनमें से किसी एक की संपत्ति के संबंध में विवाह के पक्षकारों के बीच एक मुकदमा या कार्यवाही;

((घ) किसी आदेश या निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा या कार्यवाही

वैवाहिक संबंध से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ;

(ई) की वैधता के बारे में घोषणा के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही

कोई भी व्यक्ति;

(च) रखरखाव के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही;

(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक परिवार न्यायालय भी होगा और व्यायाम करेगा -

(अ)

प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता

दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX (पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश से संबंधित) के तहत,

1973 (2 1974); और

ऐसी अन्य अधिकारिता जो किसी के द्वारा उसे प्रदत्त की जाए।

(ख)

अन्य अधिनियम।

18. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) किसी भी जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ द्वारा अब तक प्रयोग की जाने वाली पूरी भाषा को मान्यता प्रदान करती है।स्पष्टीकरण के खंड (छ) में उल्लिखित मामलों से संबंधित मुकदमों या कार्यवाहियों में न्यायालय। उपखंड (बी) एक कानूनी कल्पना बनाता है

पारिवारिक न्यायालयों पर जिला न्यायालय की स्थिति या

दिनेट सिविल कोर्ट। धारा 7 (1) केवल तभी लागू हो सकती है जबः

- (i) सूट या राणा नाहिद @रेशमा @सना और एएनआर। वी. साहिदुल हक चिश्ती [आर. भानुमती, जे.]

कार्यवाही स्पष्टीकरण के खंड (ए) से (जी) द्वारा परिकल्पित प्रकृति की है; और (ii) उस मामले के संबंध में जहां किसी भी जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकारिता का प्रयोग किया जा सकता है। इन मामलों में, मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत आवेदन नहीं किया जा सकता है

अधिनियम की धारा 7 (1) के अंतर्गत आने वाला कहा जाए। जैसा कि मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 (2) में प्रावधान किया गया है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष ही आवेदन किया जा सकता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 3 के तहत एक आवेदन परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत परिवार न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जा सकता है।

19. धारा 7 (2) (ए) परिवार न्यायालय को अध्याय IX (संबंधित) के तहत प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा अब तक प्रयोग करने योग्य अधिकारिता प्रदान करती है।

दंड प्रक्रिया संहिता की पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश देना। परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (2) (ए) परिवार न्यायालय को इन मामलों से संबंधित सीमित अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है।

केवल वे मामले जो दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय IX के तहत आते हैं। धारा 7 (2) (बी) हालांकि अन्य अधिनियमों द्वारा परिवार न्यायालयों को किसी भी अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र के प्रदान करने से संबंधित है। यह प्रावधान एक सक्षम प्रावधान की प्रकृति का है जिसके द्वारा विधायिका अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र प्रदान करके न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है।

20. धारा 7 (2) के उपखंड (बी) में आने वाली अभिव्यक्ति "इसे प्रदत्त" परिवार को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने की बात करती है। एक अधिनियम द्वारा न्यायालय। इस प्रकार, धारा 7 (2) (बी) के तहत, अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से प्रदान किया जाना चाहिए और यह नहीं माना या माना जा सकता है कि

सम्मानित किया गया। मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के प्रावधान परिवार न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 (2) में प्रावधान है कि आवेदन मजिस्ट्रेट को किया जा सकता है, लेकिन परिवार न्यायालय को नहीं। मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था।

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984। प्रावधानों के आलोक में, मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत विशेष रूप से प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकार क्षेत्र प्रदान करते हुए, धारा 3 के तहत आवेदन केवल क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के लिए हो सकता है।

21. अंजुम हसन सिद्दीकी बनाम में परिवार न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों की तुलना में मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों पर विचार करना। श्रीमती. सलमा बी. ए. आई. आर. 1992 सभी 322, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 8. उपरोक्त के अलावा धारा 3 के तहत कोई भी आवेदन जिला अदालत या अधीनस्थ दीवानी अदालत में नहीं है। जैसा कि 1986 अधिनियम की धारा 3 (2) में प्रावधान किया गया है, आवेदन को Cr.P.C के तहत क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जा सकता है। इस प्रकार, धारा 7 (1) प्रतिवादी की बिल्कुल भी मदद नहीं करती है।

10. इस प्रकार, हमने देखा है कि न तो उप-धारा (1) के तहत और न ही धारा 7 की उप-धारा (2) के तहत परिवार न्यायालय के अधिनियम को 1986 के अधिनियम की धारा 3 द्वारा अनुध्यात प्रकृति के आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र है। 11. ऐसी स्थिति का सामना करते हुए प्रतिवादी के विद्वान वकील ने उप-अनुभाग की ओर रुख किया। (2) (बी)। उन्होंने आग्रह किया कि इस प्रावधान के तहत परिवार न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया माना जा सकता है। हम डरते हैं, विद्वान सलाह फिर से कमजोर जमीन पर है। उपखंड (ख) में 'इसे प्रदत्त' शब्द एक अधिनियम द्वारा परिवार न्यायालय को अधिकारिता प्रदान करने की बात करते हैं।

अधिकार क्षेत्र विशेष रूप से प्रदान किया जाना चाहिए और यह नहीं माना जा सकता है कि यह प्रदान किया गया है। हालाँकि, 1986 के अधिनियम का कोई भी प्रावधान परिवार न्यायालय को ऐसी कोई अधिकारिता प्रदान नहीं करता है। दूसरी ओर 1986 के अधिनियम की धारा 3 (2) में प्रावधान है कि आवेदन मजिस्ट्रेट को किया जा सकता है न कि परिवार न्यायालय को। इसके अलावा 1986 का अधिनियम परिवार न्यायालय अधिनियम के बाद अधिनियमित किया गया था और इसके प्रावधान पहले के सभी अधिनियमों को हटा देते हैं। अतः यह धारा परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 पर प्रबल होनी चाहिए। इस प्रकार धारा 3 के तहत एक आवेदन केवल उस क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के लिए हो सकता है। 12. 1986 के अधिनियम की धारा 3 स्वयं तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकारों को मान्यता देती है, उसके सम्मान के लिए एक मंच निर्धारित करती है और उस संबंध में किए गए आदेश के निष्पादन का तरीका निर्धारित करती है। यह अधिनियम को अपने आप में पूर्ण बनाता है और राणा नाहिद @रेशमा @सना और ए. एन. आर. पर निर्भर नहीं करता है।

वी. साहिदुल हक चिश्ती [आर. भानुमती, जे.]

किसी अन्य अधिनियम पर समर्थन के लिए। खंड एक के साथ शुरू होता है

गैर-अवरोधक खंड और यह इसके अन्य सभी प्रावधानों को ओवरराइड करता है

फिर मौजूदा कानून। इसमें निहित प्रावधानों के विपरीत ऑल्ट प्रावधान

एस-। 3 परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 सहित 1986 के अधिनियम, इसके प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। प्रावधानों की तुलना

1984 और 1986 के अधिनियमों से यह भी पता चलेगा कि उद्देश्य और दोनों अधिनियमों का दायरा कुछ अलग है। धारा 3 केवल

इसमें गिने गए कुछ दावों तक सीमित जो अकेले हो सकते हैं

अधिनियम के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा प्रस्तुत किया गया

(रेखांकित करना जोड़ा गया)

निर्धारित तरीका। '"

22. सवाल यह है कि क्या परिवार न्यायालय के पास मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है

मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद भरण-पोषण के लिए मुस्लिम तलाकशुदा महिला के आवेदन पर बॉम्बे उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने करीम अब्दुल रहमान शेख बनाम में विचार किया था। शहनाज करीम शेख और अन्य 2000 (3) Mh.L.J. 555 ने भी यही विचार रखा कि एक मुस्लिम महिला मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत केवल संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र वाले प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती है और परिवार न्यायालय ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं कर सकता है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

" 61. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसा कोई अधिनियम नहीं है जिसमें

एक स्पष्ट प्रावधान कि परिवार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होगा

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं द्वारा किए गए आवेदनों से निपटने के लिए

मुस्लिम महिला अधिनियम की धारा 3 और 4। इसके विपरीत, मुस्लिम महिला अधिनियम की योजना से पता चलता है कि इस तरह के आवेदन

केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को अभ्यास करने के लिए कहा जा सकता है

संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र। परिवार न्यायालय का अधिनियम एक पूर्ववर्ती है।

अधिनियमन। मुस्लिम महिला अधिनियम परिवार को भी संदर्भित नहीं करता है। न्यायालय का अधिनियम। यदि विधायिका का यह देखने का इरादा था कि ए

मुस्लिम महिलाएँ परिवार न्यायालय में आवेदन कर सकती हैं।

उस प्रभाव के लिए स्पष्ट प्रावधान पाया गया होगा

मुस्लिम महिला अधिनियम। इसके विपरीत, की धारा 5 के तहत मुस्लिम महिला अधिनियम, एक तलाकशुदा महिला और उसका पूर्व पति

घोषणा कर सकते हैं कि वे धारा 125 द्वारा शासित होना पसंद करते हैं

128 संहिता और फिर मजिस्ट्रेट को निपटाना होगा

तदनुसार आवेदन करें। अन्यथा, मजिस्ट्रेट को इससे निपटना पड़ता है यह मुस्लिम महिला अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है। वहाँ कोई नहीं है

प्रावधान जिसके तहत एक मुस्लिम महिला किसी स्थान पर जाना पसंद कर सकती है

उसके पति के साथ एक संयुक्त घोषणा करते हुए परिवार न्यायालय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुस्लिम महिला अधिनियम के प्रारंभ पर उस संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद और मुस्लिम महिला अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अधीन, मुस्लिम महिला अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया गया। यह कानूनी प्रावधान को बहुत अच्छा बनाता है।

और वह भी मुस्लिम महिला अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार। इसलिए, मुस्लिम महिला अधिनियम के प्रावधानों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि परिवार न्यायालय ने मुस्लिम महिला अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आवेदनों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र।

62. नूर जमाल के मामले (ऊपर) में इस अदालत की खंड पीठ ने भी ऐसा ही विचार रखा है और हम सम्मानपूर्वक उक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं। हम अल्लाबक्ष के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय की खंड पीठ के फैसले से सहमत नहीं हैं, जिसमें कहा गया है कि जहां परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है, वहां शक्ति और तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी के आवेदन पर विचार करने के लिए परिवार न्यायालय की अधिकारिता को स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से नहीं लिया जाता है।

मुस्लिम महिला अधिनियम द्वारा निहितार्थ और मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत उपाय एक अतिरिक्त उपाय है। हमारी राय में,

तथ्य यह है कि मुस्लिम महिला अधिनियम परिवार न्यायालय को संदर्भित नहीं करता है या यह नहीं कहता है कि धारा 3 और 4 के तहत आवेदन परिवार न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है। यदि परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को संरक्षित करने की मांग की गई होती, तो यह स्पष्ट करने वाला एक स्पष्ट प्रावधान होता कि परिवार न्यायालय

मुस्लिम महिला अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के आवेदनों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। इसलिए हमारा मानना है कि मुस्लिम महिला अधिनियम के लागू होने के बाद, एक मुस्लिम महिला उक्त अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत आवेदन कर सकती है

केवल संहिता के तहत अधिकारिता रखने वाले प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के लिए। परिवार न्यायालय ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं कर सकता है।

[रेखांकित करना जोड़ा गया]

23. वर्तमान मामले में, हम इस प्रश्न से चिंतित हैं कि 1986 के अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत आवेदन राणा नाहिद @रेशमा @सना और एएनआर हो सकता है।

वी. साहिदुल हक चिश्ती [आर. भानुमती, जे.]

परिवार न्यायालय के समक्ष दायर किया गया या क्या परिवार न्यायालय 1986 के अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के तहत धारा 125 Cr.P.C के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका को परिवर्तित कर सकता है। मैं करीम अब्दुल मामले में बंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिए गए विचार से पूरी तरह सहमत हूं।

रहमान शेख मामला। चूँकि मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 1986 परिवार न्यायालय को संदर्भित नहीं करता है या यह नहीं कहता है कि धारा 3 और 4 के तहत एक आवेदन परिवार न्यायालय के समक्ष दायर किया जा सकता है, मेरे विचार में,

परिवार न्यायालय मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 4 के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला के आवेदन पर विचार नहीं कर सकता है।

24. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस पर भरोसा रखा

इकबाल बानो मामले में निर्णय और प्रस्तुत किया कि उक्त मामले में, मजिस्ट्रेट ने मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत आवेदन में धारा 125 Cr.P.C के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका को परिवर्तित कर दिया है और इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। इकबाल बानो मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से अलग हैं। इकबाल बानो मामले में, धारा 125 Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया गया था, जिसके पास मुस्लिम की धारा 3 के तहत आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र भी था।

महिला संरक्षण अधिनियम। उस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत आवेदन को धारा 125 Cr.P.C के तहत परिवर्तित करने के आदेश को बरकरार रखा।

25. इसलिए, तलाकशुदा पत्नी द्वारा 1986 के अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत आवेदन को अधिकार क्षेत्र वाले सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया जाना चाहिए, यदि वह इद्दत अवधि से परे भरण-पोषण का दावा करती है। भले ही उस क्षेत्र में परिवार न्यायालय की स्थापना की गई हो, लेकिन परिवार न्यायालय को मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत दायर आवेदन पर विचार करने के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 के तहत अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया गया है, परिवार न्यायालय को 1986 के अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इसलिए परिवार न्यायालय, 1986 के अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के तहत धारा 125 Cr.P.C के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका को एक में परिवर्तित नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय ने, मेरे विचार में, उचित निर्णय दिया कि परिवार न्यायालय को 1986 के अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और परिवार न्यायालय 1986 के अधिनियम की धारा 3 या धारा 4 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका को एक में परिवर्तित नहीं कर सकता है। मुझे विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. नतीजतन, अपील खारिज कर दी जाती है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी संख्या 1 को 1986 के अधिनियम की धारा 3 के तहत सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी है। अपीलार्थी सं. 1 द्वारा पहले से दायर आवेदन या प्रथम श्रेणी के सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किए जाने वाले किसी भी आवेदन पर सुनवाई की जाएगी और यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाएगा। प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट इस न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए किसी भी विचार से प्रभावित नहीं होगा और मामले पर अपने गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. मैंने अपनी सम्मानित बहन द्वारा तैयार किए गए निर्णय को देखा है, लेकिन मैं खुद को इस बात से सहमत करने के लिए राजी नहीं कर पाया कि परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 के तहत गठित एक परिवार न्यायालय के पास आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 (इसके बाद "Cr.P.C" के रूप में संदर्भित) के तहत एक मुस्लिम महिला द्वारा दायर भरण-पोषण के लिए आवेदन को मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत एक आवेदन में परिवर्तित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, (इसके बाद इसे "मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है), और उसी पर निर्णय लेता है। 2. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्य, मेरी सम्मानित बहन द्वारा बताए गए हैं और प्रोलिक्सिटी से बचने के लिए दोहराए नहीं गए हैं।

3. परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 को अन्य बातों के साथ-साथ परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए लागू किया गया है।

विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों और उनसे जुड़े मामलों का त्वरित निपटान।

4. परिवार न्यायालय अधिनियम के अधिनियमन के लिए उद्देश्यों और कारणों का विवरण दर्ज करता है कि महिलाओं के कई संघ, अन्य

संगठनों और व्यक्तियों ने समय-समय पर मांग की कि पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जहां सुलह और सामाजिक रूप से वांछनीय परिणाम प्राप्त करने पर जोर दिया जाना चाहिए और प्रक्रिया और साक्ष्य के कठोर नियमों का पालन समाप्त किया जाना चाहिए।

5. विधि आयोग ने 1974 में प्रस्तुत अपनी 59 वीं रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया था कि परिवार से संबंधित विवादों से निपटने के लिए न्यायालय ने

राणा नाहिद @रेश्मा @सना और ए. एन. आर. में अपनाए गए दृष्टिकोण से मौलिक रूप से अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

वी. साहिदुल हक चिश्ती [इंदिरा बनर्जी, जे।]

साधारण दीवानी कार्यवाहियां, और यह कि उसे मुकदमे के शुरू होने से पहले समझौते के लिए उचित प्रयास करने चाहिए। 1976 में सिविल प्रक्रिया संहिता में एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया था। परिवार से संबंधित मामलों से संबंधित मुकदमों और कार्यवाहियों में अपनाया गया।

6. संसद ने विवाह और पारिवारिक मामलों और उनसे जुड़े मामलों में सुलह को बढ़ावा देने और विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने की दृष्टि से पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम अधिनियमित किया।

7. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, जो मुकदमेबाज पक्षों के धर्म की परवाह किए बिना उसमें विचार किए गए मामलों पर लागू होता है। परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 3 में उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद परिवार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है।

8. परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित परिवार न्यायालय, उक्त अधिनियम की धारा 7 से अधिकारिता प्राप्त करते हैं जो सुविधा के लिए नीचे दी गई हैः

" 7. अधिकारिता

(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक परिवार न्यायालय

करेंगे।

(क) दावों और कार्यवाहियों के संबंध में तत्काल लागू किसी कानून के तहत किसी भी जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ दीवानी न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी अधिकारिता रखता है और उसका प्रयोग करता है।

स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति का; और
(ख) ऐसी विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, माना जाएगाः

उस क्षेत्र के लिए ऐसा अधीनस्थ दीवानी न्यायालय जिसके लिए

परिवार न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार होता है।

स्पष्टीकरण। इस उप-धारा में निर्दिष्ट वाद और कार्यवाहियां निम्नलिखित प्रकृति के वाद और कार्यवाहियां हैं। अर्थात्ः

(क) विवाह की निरस्तीकरण की डिक्री (विवाह को अमान्य घोषित करना या, जैसा भी मामला हो, विवाह को रद्द करना) या वैवाहिक अधिकारों की बहाली या न्यायिक अलगाव के लिए विवाह के पक्षों के बीच एक मुकदमा या कार्यवाही या विवाह का विघटन; (ख) विवाह की वैधता के बारे में या [2020] 7 एस. सी. आर. के बारे में घोषणा के लिए मुकदमा या कार्यवाही।

किसी भी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति;

(ग) विवाह के पक्षकारों के बीच एक मुकदमा या कार्यवाही पक्षकारों या उनमें से किसी एक की संपत्ति के संबंध में;

((घ) किसी आदेश या निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा या कार्यवाही

वैवाहिक संबंध से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति; (ई) वैधता के रूप में घोषणा के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही

किसी भी व्यक्ति के लिए;

(च) रखरखाव के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही; (छ) संरक्षकता के संबंध में एक मुकदमा या कार्यवाही

व्यक्ति या किसी नाबालिग की अभिरक्षा या पहुँच।

(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, एक परिवार न्यायालय

व्यायाम भी करना चाहिए।

(क) अध्याय IX के तहत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता (के रखरखाव के लिए आदेश से संबंधित) दंड प्रक्रिया संहिता की पत्नी, बच्चे और माता-पिता),

1973 (2 1974); और

((ख) ऐसी अन्य अधिकारिता जो किसी अन्य अधिनियम द्वारा उसे प्रदान की जाए।

परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 8 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

' अधिकारिता और लंबित कार्यवाहियों का बहिष्करण।

जहाँ किसी क्षेत्र के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है,

(क) कोई जिला न्यायालय या कोई अधीनस्थ दीवानी न्यायालय निर्दिष्ट नहीं है। धारा 7 की उप-धारा (1) में, ऐसे क्षेत्र के संबंध में, किसी वाद के संबंध में कोई अधिकारिता होगी या उसका प्रयोग किया जाएगा या

स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति की कार्यवाही

(ख) किसी भी मजिस्ट्रेट के पास, ऐसे क्षेत्र के संबंध में, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX के तहत कोई अधिकार क्षेत्र या शक्तियां नहीं होंगी या उनका प्रयोग नहीं करेगा; (ग) संविधान में निर्दिष्ट प्रकृति का प्रत्येक वाद या कार्यवाही।

धारा 7 की उप-धारा (1) का स्पष्टीकरण और प्रत्येक

दंड संहिता के अध्याय IX के तहत कार्यवाही

प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2),-राणा नाहिद @रेशमा @सना और एएनआर।

वी. साहिदुल हक चिश्ती [इंदिरा बनर्जी, जे।]

((ख) जिसे ऐसे परिवार न्यायालय के समक्ष स्थापित या लिया जाना आवश्यक होता, यदि उस तारीख से पहले, जिस दिन ऐसा मुकदमा या कार्यवाही शुरू की गई थी या की गई थी, यह अधिनियम लागू हो गया था और ऐसा परिवार न्यायालय स्थापित किया गया था, उस तारीख को ऐसे परिवार न्यायालय में स्थानांतरित किया जाएगा।

जिसे स्थापित किया गया है। ”

10. परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण (च) के साथ धारा 7 (1) को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित परिवार न्यायालय, जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ दीवानी न्यायालय द्वारा, वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत, भरण-पोषण के लिए किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए, अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का उपयोग करता है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 के तहत एक आवेदन शामिल होगा।

11. पारिवारिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए गठित एक पारिवारिक न्यायालय नियमित आपराधिक और दीवानी न्यायालयों से काफी अलग है। द. इन न्यायालयों में माहौल नियमित दीवानी और आपराधिक न्यायालयों के माहौल की तुलना में बहुत अधिक अनौपचारिक और बहुत कम डरावना है। ये अदालतें

साक्ष्य के नियमों और प्रक्रिया के नियमों से बंधे नहीं हैं। पारिवारिक न्यायालयों के पास पारिवारिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करने की शक्ति है। 12. परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 5 परिवार न्यायालयों, समाज कल्याण संगठनों, पेशेवर व्यक्तियों के साथ जुड़ाव पर विचार करती है।

परिवार के कल्याण को बढ़ावा देने में लगे हुए, समाज कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति, जिसका परिवार के साथ संबंध है। परिवार न्यायालय, इसे परिवार न्यायालय अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र का अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम बनाएगा।

13. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 6 में नियुक्ति का प्रावधान है,

अन्य बातों के साथ-साथ, परिवार न्यायालय को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए परामर्शदाताओं का, और परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 9 परिवार न्यायालयों पर एक कर्तव्य डालती है कि वे जहां भी संभव हो, [2020] 7 एस. सी. आर. की विषय वस्तु के संबंध में एक समझौते पर पहुंचने में पक्षों की सहायता करने और उन्हें मनाने का प्रयास करें।

वाद या कार्यवाही, और इस प्रयोजन के लिए एक परिवार न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन रहते हुए, ऐसी प्रक्रिया का पालन कर सकता है जो वह उचित समझे। आपराधिक न्यायालय या दीवानी न्यायालय के विपरीत, जब भी पक्षों के बीच समझौते की उचित संभावना होती है, एक परिवार न्यायालय कार्यवाही को स्थगित करने के लिए बाध्य होता है। 14. परिवार न्यायालय को एक दीवानी न्यायालय माना जाना है और उसे परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 10 के तहत ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां हैं, और परिवार न्यायालय अधिनियम के अन्य प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे इसके बाद 'सी. पी. सी.' के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रावधान परिवार न्यायालय के समक्ष मुकदमों और कार्यवाही पर लागू होते हैं, सिवाय इसके कि <आई. डी. 1 के अध्याय IX के तहत कार्यवाही।

15. परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के बावजूद, जो सी. पी. सी. के प्रावधान करती है।

आई. डी. 1 के अध्याय IX के तहत आने वाले मुकदमों और उस संहिता के अध्याय IX के तहत सभी कार्यवाहियों पर लागू होने वाले आई. डी. 1 के प्रावधानों के अलावा, परिवार न्यायालय के समक्ष मुकदमों और कार्यवाहियों पर लागू होने वाले, यह परिवार न्यायालय के लिए खुला है कि वह मुकदमे या कार्यवाहियों की विषय वस्तु के संबंध में किसी समझौते पर पहुंचने की दृष्टि से अपनी प्रक्रिया निर्धारित करे।

16. परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 12 में परिवार कल्याण के क्षेत्र में पेशेवर विशेषज्ञों की सहायता की परिकल्पना की गई है, चाहे

या पक्षकारों से संबंधित नहीं, परिवार न्यायालय अधिनियम द्वारा लगाए गए कार्यों के निर्वहन में परिवार न्यायालयों की सहायता करने के लिए। 17. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू उक्त अधिनियम की धारा 13 है, जिसमें यह प्रावधान है कि इसमें कुछ भी निहित होने के बावजूद

कोई भी कानून, परिवार न्यायालय के समक्ष किसी मुकदमे या कार्यवाही का कोई भी पक्षकार,

एक कानूनी व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार के रूप में हकदार होना। यदि परिवार न्यायालय न्याय के हित में इसे आवश्यक समझता है, तो वह न्याय मित्र के रूप में किसी कानूनी विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। इस देश में महिलाएं मोटे तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर हैं। नियमित सिविल और आपराधिक न्यायालयों में, आर्थिक रूप से कमजोर आवेदक, वकीलों का खर्च उठाने में असमर्थ

वित्तीय रूप से मजबूत विरोधियों द्वारा काम पर रखे गए सर्वश्रेष्ठ कानूनी दिमाग के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। हालांकि, परिवार न्यायालय में रखरखाव के लिए कार्यवाही में, पक्षकार कानूनी प्रतिनिधित्व के समान मानक के साथ समान रूप से तैयार हैं।

18. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता धारा 14 है, जो एक पारिवारिक न्यायालय को सबूत के रूप में कोई भी रिपोर्ट, राणा नाहिद @रेशमा @सना और ए. एन. आर. प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।

वी. साहिदुल हक चिश्ती [इंदिरा बनर्जी, जे।]

बयान, दस्तावेज़, जानकारी या मामला जो उसकी राय में किसी विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद कर सकता है, चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत अन्यथा प्रासंगिक या स्वीकार्य हो या नहीं।

19. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 16 के तहत, किसी भी व्यक्ति का साक्ष्य जो एक औपचारिक चरित्र का है, शपथ पत्र द्वारा दिया जा सकता है,

और न्यायसंगत अपवादों के अधीन, परिवार न्यायालय के समक्ष किसी भी वाद या कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाए।

20. इसलिए, परिवार न्यायालय में रखरखाव की कार्यवाही में, प्राधिकरणों/नियोक्ताओं आदि द्वारा जारी प्रमाण पत्र, दस्तावेज आदि।

निःस्वार्थ गवाहों के न्यायालय में उपस्थिति की आवश्यकता के बिना शपथ पत्रों द्वारा साबित किया जाना चाहिए, जिनकी विफलता और/या सुनवाई की तारीखों पर न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थता अक्सर कार्यवाही में देरी करती है।

21. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 18 Cr.P.C के अध्याय IX के तहत एक आदेश के अलावा एक डिक्री या आदेश बनाती है।

सी. पी. सी. द्वारा विहित सिविल न्यायालय की डिक्री के समान। Cr.PC के अध्याय IX के तहत एक आदेश को Cr.PC द्वारा इस तरह के आदेश के निष्पादन के लिए निर्धारित तरीके से निष्पादित किया जा सकता है।

22. जहाँ किसी क्षेत्र के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है,

परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 8 उस उप-धारा के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी वाद या प्रकृति की कार्यवाही के संबंध में जिला न्यायालय या क्षेत्राधिकार की धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधीनस्थ दीवानी न्यायालय को अस्वीकार करती है।

23. परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 8 (बी) किसी भी मजिस्ट्रेट को प्रतिबंधित करती है।

किसी भी क्षेत्र के संबंध में, जिसके लिए परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है, आई. डी. 1 के अध्याय IX के तहत अधिकार क्षेत्र या शक्तियों का प्रयोग करने से।

24. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 20, अपने गैर-अवरोधक खंड के साथ, परिवार न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों को किसी भी अन्य कानून पर हावी होने का प्रभाव देती है, जिसमें 1986 शामिल होगा।

मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिनियम। परिवार न्यायालय अधिनियम, उससे असंगत किसी भी बात के होते हुए भी, किसी अन्य कानून में निहित, कुछ समय के लिए लागू या प्रभावी किसी भी दस्तावेज में, परिवार न्यायालय अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभावी होगा।

25. धारा 20 में गैर-बाध्यकारी खंड परिवार न्यायालय अधिनियम को लागू करने में विधायी इरादे को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। प्रावधान

उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत होने के बावजूद, अधिनियम का प्रभाव होना चाहिए। मेरे विचार में, अभिव्यक्ति "[2020] 7 एस. सी. आर. में।

किसी भी अन्य कानून को, जो कुछ समय के लिए लागू है, संकीर्ण रूप से एक कानून के रूप में नहीं समझा जा सकता है जो अधिनियमन की तारीख को लागू था और/या परिवार न्यायालय अधिनियम का प्रवर्तन, जैसा कि प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित वकील द्वारा तर्क दिया जाना चाहा गया था। "कुछ समय के लिए कोई अन्य कानून" अभिव्यक्ति में बाद में अधिनियमित कानून शामिल होंगे, जो तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 20 लागू है।

26. परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 (1) और 7 (2) को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि परिवार न्यायालय को जिला माना जाता है।

धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति की कार्यवाहियों के संबंध में, जिस क्षेत्र में परिवार न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार किया गया है, उस क्षेत्र में न्यायालय, या जैसा भी मामला हो, अधीनस्थ दीवानी न्यायालय, और इसे अनुच्छेद 1 के अध्याय 9 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने के उद्देश्य से प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाना है।

रखरखाव के लिए कार्यवाही अनिवार्य रूप से दीवानी कार्यवाही है।

27. जैसा कि ऊपर देखा गया है, परिवार न्यायालयों के पास धारा 7 (1) के स्पष्टीकरण (च) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में अधिकार क्षेत्र है, चाहे मुकदमे के पक्षकारों का धर्म या विश्वास कुछ भी हो। जहाँ कहीं भी एक परिवार न्यायालय का गठन किया जाता है, ऐसा परिवार न्यायालय न केवल किसी भी जिला न्यायालय या अधीनस्थ दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करता है।

धारा 7 (1) का स्पष्टीकरण (च), अर्थात् वाद और भरण-पोषण के लिए अन्य कार्यवाहियां, यह Cr.P.C के अध्याय IX के तहत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का भी प्रयोग करता है।

28. Cr.P.C के अध्याय IX के प्रासंगिक प्रावधान सुविधा के लिए नीचे दिए गए हैं:

" अध्याय IX

पत्नियों, बच्चों के रखरखाव का आदेश

और माता-पिता

125. पत्नियों, बच्चों के रखरखाव के लिए आदेश और

माता-पिता। - (1) यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त साधन रखता है

उपेक्षा करता है या बनाए रखने से इनकार करता है
((क) उसकी पत्नी, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

((ख) उसका वैध या अवैध नाबालिग बच्चा, चाहे वह विवाहित हो या नहीं, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, या
(ग) उसका वैध या अवैध बच्चा (ए. एन. ए. नाहिद @रेश्मा @सना और ए. एन. आर. नहीं होना।

वी. साहिदुल हक चिश्ती [इंदिरा बनर्जी, जे।]

विवाहित बेटी) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, जहां ऐसा बच्चा, किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खुद को बनाए रखने में असमर्थ है, या

(घ) उसके पिता या माता, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, इसके प्रमाण पर - ऐसी उपेक्षा या इनकार, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माँ के भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश देता है, ऐसी मासिक दर पर, जो ऐसा मजिस्ट्रेट उचित समझे, और उसी का भुगतान ऐसे व्यक्ति को करने का आदेश देता है जिसे मजिस्ट्रेट दे सकता है।

समय-समय पर सीधे;

स्पष्टीकरण। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,

(क) "नाबालिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारतीय बहुसंख्यक अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के प्रावधानों के तहत अपना बहुमत प्राप्त नहीं किया है;

(ख) "पत्नी में एक ऐसी महिला शामिल है जिसका अपने पति से तलाक हो गया है या जिसने तलाक ले लिया है और जिसने तलाक नहीं लिया है। दोबारा शादी कर ली।

... .

126. प्रक्रिया। - (1) किसी भी जिले में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धारा 125 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

((क) वह कहाँ है, या ((ख) जहाँ वह या उसकी पत्नी रहते हैं, या

((ग) जहाँ वह पिछली बार अपनी पत्नी के साथ रहा था, या, जैसा भी मामला हो,

अवैध बच्चे की माँ के साथ रहें।

(2) ऐसी कार्यवाहियों में सभी साक्ष्य उस व्यक्ति की उपस्थिति में लिए जाएंगे जिसके खिलाफ भरण-पोषण के भुगतान का आदेश दिया जाता है, या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति समाप्त हो जाती है, तो उसके वकील की उपस्थिति में, और समन के लिए निर्धारित तरीके से दर्ज किया जाएगा।

मामलेः

बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ भरण-पोषण के भुगतान का आदेश है

प्रस्तावित किया जाना जानबूझकर सेवा से बचना है, या जानबूझकर [2020] 7 एस. सी. आर.

न्यायालय में उपस्थित होने की उपेक्षा करते हुए, मजिस्ट्रेट एकतरफा मामले और इस प्रकार के किसी भी आदेश को सुनने और निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। किए गए आवेदन को उसकी तारीख से तीन महीने के भीतर किए गए आवेदन पर दिखाए गए अच्छे कारण के लिए अलग रखा जा सकता है, जो ऐसी शर्तों के अधीन है जिसमें विरोधी पक्ष को लागत का भुगतान करने की शर्तें शामिल हैं जो मजिस्ट्रेट उचित और उचित समझता है।

(3) धारा 125 के तहत आवेदनों पर विचार करने में न्यायालय को लागत के बारे में ऐसा आदेश देने की शक्ति होगी जो हो सके

बस।

127. भत्तों में परिवर्तन। - .....

128. रखरखाव के आदेश का प्रवर्तन। - [रखरखाव या अंतरिम रखरखाव और कार्यवाही के खर्च, जैसा भी मामला हो] के आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को, जिसके पक्ष में यह किया गया है, या उसके अभिभावक को, यदि कोई हो, या उस व्यक्ति को, जिसके लिए भत्ता दिया गया है, भुगतान किए बिना दी जाएगी। अंतरिम रखरखाव और
कार्यवाही के खर्चों के लिए रखरखाव या भत्ता, जैसा भी मामला हो, का भुगतान किया जाना है; और ऐसा आदेश किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी स्थान पर लागू किया जा सकता है जहां वह व्यक्ति जिसके खिलाफ यह किया गया है, ऐसे मजिस्ट्रेट के पक्षकारों की पहचान और [भत्ता, या के भुगतान न करने के बारे में संतुष्ट होने पर।

मामला हो सकता है, खर्च, देय] '।

29. समानता का अधिकार, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, एक बुनियादी मानव अधिकार है, जिसे सार्वभौमिक घोषणा में मान्यता दी गई है, इसकी पुष्टि की गई है और दोहराया गया है

10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मानवाधिकार। घोषणा के अनुच्छेद 2 में कहा गया हैः

" अनुच्छेद 2: प्रत्येक व्यक्ति नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना घोषणा में निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार है।

राय, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य

स्थिति. ”

30. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाचा (आई. सी. सी. पी. आर.) राज्य दलों को प्रत्येक वाचा में उल्लिखित सभी अधिकारों का आनंद लेने के लिए महिलाओं के समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है। यह अधिकार धर्म की परवाह किए बिना है। आई. सी. सी. पी. आर. के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि "सभी व्यक्ति न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के समक्ष समान होंगे" और

अनुच्छेद 26 में घोषणा की गई है कि "सभी व्यक्ति कानून के तहत समान हैं और बिना किसी अधिकार के हकदार हैं।

भेदभाव, कानून के समान संरक्षण के लिए। "

31. सभी रूपों के उन्मूलन पर समझौता

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव 1979, जिसे आमतौर पर सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू. के रूप में जाना जाता है, दूसरों के बीच, धर्म की परवाह किए बिना महिलाओं के समानता के अधिकार को एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है। सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू. का अनुच्छेद 2 राज्य दलों को महिला अनुकूल कानूनी प्रणाली और महिला अनुकूल नीतियों और प्रथाओं को अपनाना सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 32. सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू. के एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, भारत एक महिला अनुकूल कानूनी प्रणाली और महिला अनुकूल नीतियों और प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 का अधिनियम, सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू. के बाद का कानून होने के नाते, यह न्यायालय उक्त अधिनियम के प्रावधानों की पर्याप्त, उदार और उद्देश्यपूर्ण तरीके से व्याख्या करने के लिए बाध्य है, जिससे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को लाभ हो।

33. भारतीय संविधान के तहत समानता का अधिकार एक

मौलिक अधिकार। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं और कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं, चाहे वह मूल कानून हो या प्रक्रियात्मक कानून। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 स्पष्ट रूप से धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

34. नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के लिए लैंगिक समानता के प्रतिस्पर्धी और परस्पर विरोधी सिद्धांतों ने भारत में न्यायपालिका के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून, जो शरीयत कानून द्वारा शासित होते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की छत्रछाया में संरक्षित हैं और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार या अन्य संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से मुक्त हैं। हालाँकि, प्रक्रियात्मक कानूनों को चुनौती देने के लिए उतनी प्रतिरक्षा नहीं होगी जितनी मूल मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों को मिलती है।

35. Cr.P.C की धारा 125 एक लाभकारी कानून है,

जिसे उसके पति/पूर्व पति द्वारा उपेक्षित किया जाता है, भले ही उसके पास उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त साधन हों। ऐसी पत्नी या तलाकशुदा पत्नी मजिस्ट्रेट से भरण-पोषण का आदेश प्राप्त कर सकती है। 36. आई. डी. 1 की धारा 125 के तहत कार्यवाही नागरिक प्रकृति की है, जैसा कि इस न्यायालय ने विजय कुमार प्रसाद बनाम. बिहार राज्य 1. उपेक्षा और/या पत्नी या तलाकशुदा पत्नी को बनाए रखने में विफलता के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। हालांकि, रखरखाव के आदेश का पालन न करना

1 (2004) 5 एस. सी. सी 196 [2020] 7 एस. सी. आर.

यह Cr.P.C के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करता है। ज़ोहरा खातून और अन्र में। वी. मोहम्मद. इब्राहिम 2, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि पत्नी में एक महिला शामिल है जिसने मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 के तहत विवाह भंग करने के लिए डिक्री प्राप्त की है।

37. में एम. अहमद खान बनाम। शाह बानो बेगम और अन्य 3, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि Cr.P.C की धारा 125, जो एक पति को अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए बाध्य करती है, जिसमें एक तलाकशुदा पत्नी भी शामिल है, को मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है।

38. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि मुस्लिम कानून तलाकशुदा पत्नी के भरण-पोषण के लिए पति के दायित्व को इस अवधि तक सीमित करता है -

39. मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 का अधिनियम उन मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है जिन्हें उनके पतियों द्वारा तलाक दिया गया है या जिन्होंने तलाक प्राप्त किया है और संबंधित मामलों का प्रावधान करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ या उससे आनुषंगिक।

40. मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान है:

" खंड 3. मुस्लिम महिला की महर या अन्य संपत्तियाँ

तलाक के समय उसे दिया जाए।

(1) तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक तलाकशुदा महिला

के हकदार हैं

(क) उसके द्वारा इद्दत अवधि के भीतर एक उचित और निष्पक्ष प्रावधान और रखरखाव किया जाना और उसे भुगतान किया जाना।

पूर्व पति;

(ख) जहाँ वह स्वयं अपने तलाक से पहले या बाद में पैदा हुए बच्चों का पालन-पोषण करती है, वहाँ उसके पूर्व पति द्वारा संबंधित तिथियों से दो साल की अवधि के लिए एक उचित और उचित प्रावधान और भरण-पोषण किया जाना चाहिए और भुगतान किया जाना चाहिए।

ऐसे बच्चों का जन्म;

2 (1981) 2 एस. सी. सी. 509

3 (1985) 2 एस. सी. सी. 556 आना नाहिद @रेशमा @सना और ए. एन. आर. वी. साहिदुल हक चिश्ती [इंदिरा बनर्जी, जे।]

(ग) उसकी शादी के समय या उसके बाद किसी भी समय मुस्लिम कानून के अनुसार उसे भुगतान करने के लिए सहमत महर या दहेज की राशि के बराबर राशि; और (घ) विवाह से पहले या उसके बाद या उसके रिश्तेदारों या दोस्तों या पति या पति के किसी रिश्तेदार या उसके दोस्तों द्वारा उसे दी गई सभी संपत्तियाँ।

(2) जहां कोई उचित और निष्पक्ष प्रावधान और भरण-पोषण या देय महर या दहेज की राशि का भुगतान नहीं किया गया है या उप-धारा (1) के खंड (डी) में निर्दिष्ट संपत्तियों को तलाकशुदा महिला को उसके तलाक पर नहीं दिया गया है, तो वह या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत कोई व्यक्ति, उसकी ओर से, ऐसे प्रावधान और भरण-पोषण, महर या दहेज के भुगतान के आदेश के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है।

या संपत्तियों का वितरण, जैसा भी मामला हो। (3) जहाँ उप-धारा के तहत आवेदन किया गया हो।

इद्दत अवधि के भीतर उसे उसके और बच्चों के लिए एक उचित और उचित प्रावधान और रखरखाव करने या भुगतान करने की उपेक्षा की गई; या (बी) महर या दहेज की राशि के बराबर राशि का भुगतान नहीं किया गया है या कि इसमें निर्दिष्ट संपत्तियों का भुगतान नहीं किया गया है। उप-धारा (1) का खंड (घ) उसे नहीं दिया गया है, 3 दाखिल करने की तारीख से एक महीने के भीतर एक आदेश दें।

आवेदन, उसके पूर्व पति को तलाकशुदा महिला को ऐसे उचित और निष्पक्ष प्रावधान और भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश देता है जो वह तलाकशुदा महिला की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और उचित रूप से निर्धारित करे, उसके विवाह के दौरान उसके द्वारा आनंदित जीवन स्तर और उसके पूर्व पति के साधन या, जैसा भी मामला हो, ऐसी महर या दहेज के भुगतान या ऐसी संपत्तियों के वितरण के लिए निर्दिष्ट करें।

उप-धारा (1) के खंड (घ) में तलाकशुदा महिला कोः बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट निपटान करना अव्यवहारिक पाता है

उक्त अवधि के भीतर आवेदन का, वह अपने द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उक्त अवधि के बाद आवेदन का निपटारा कर सकता है।

(4) यदि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है

उप-धारा (3) [2020] 7 एस. सी. आर. का पालन करने के लिए पर्याप्त कारण के बिना विफल हो जाती है।

आदेश के अनुसार, मजिस्ट्रेट रखरखाव की राशि या महर या देय राशि को लागू करने के लिए वारंट जारी कर सकता है।

दंड संहिता के तहत जुर्माना लगाने के लिए प्रावधान किया गया

प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2), और ऐसे व्यक्ति को सजा दे सकता है,

वारंट के निष्पादन के बाद अवैतनिक बची किसी भी राशि के पूरे या हिस्से के लिए, एक अवधि के लिए कारावास जो एक वर्ष तक बढ़ सकता है या भुगतान होने तक, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को बचाव में सुना जाए और उक्त

उक्त संहिता के प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जा रहा है।

41. मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला (ए) उचित और निष्पक्ष कानून की हकदार होगी।

उसके पूर्व पति द्वारा इद्दत अवधि के भीतर उसे किया जाने वाला प्रावधान और रखरखाव और भुगतान; (बी) जहां वह खुद बच्चों का रखरखाव करती है।

उसके लिए उसके तलाक से पहले या बाद में पैदा हुआ, एक उचित और निष्पक्ष प्रावधान और भरण-पोषण जो उसके पूर्व पति द्वारा ऐसे बच्चों के जन्म की संबंधित तिथियों से दो साल की अवधि के लिए किया जाना चाहिए और भुगतान किया जाना चाहिए; (सी) मुस्लिम कानून के अनुसार, उसकी शादी के समय या उसके बाद किसी भी समय उसे दिए जाने वाले महर या दहेज के बराबर राशि; और (डी) शादी से पहले या बाद में या उसके रिश्तेदारों या दोस्तों या पति या पति या उसके दोस्तों द्वारा उसे दी गई सभी संपत्तियों के लिए।

42. मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है। धारा 3 (1) में गैर-अवरोधक खंड देता है

मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) के मूल प्रावधानों का प्रबल प्रभाव। एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार भरण-पोषण की हकदार होगी, भले ही किसी भी अन्य कानून में कुछ भी निहित हो, जिसमें Cr.P.C की धारा 125 से 128 शामिल हैं। गैर-बाध्य खंड धारा 3 की उप धारा (1) के लिए इसके आवेदन में प्रतिबंधित है। यह मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की उप-धारा (2) और (3) पर लागू नहीं होता है।

43. मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 2 (सी) "मजिस्ट्रेट का अर्थ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से है, जो उस क्षेत्र में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं जहां तलाकशुदा महिला रहती है"।

44. मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 4, मजिस्ट्रेट को कुछ परिस्थितियों में रिश्तेदारों को भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश देने में सक्षम बनाती है, राणा नाहिद @रेशमा @सना और एएनआर।

वी. साहिदुल हक चिश्ती [इंदिरा बनर्जी, जे।]

इस आवेदन के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है। धारा 5 जो तलाकशुदा महिला और उसके पति को Cr.P.C की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प देती है, बशर्ते कि वे शपथ पत्र द्वारा घोषणा दें, इस मामले में भी आकर्षित नहीं होती है, क्योंकि प्रतिवादी Cr.P.C की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने के लिए सहमत नहीं हुआ है।

45. धारा 7 में प्रावधान है कि धारा 125 या Cr.P.C की धारा 127 के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा प्रत्येक आवेदन, पहले लंबित है।

मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम के प्रारंभ के समय मजिस्ट्रेट, उस संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद, और मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अधीन, संहिता के उपरोक्त प्रावधानों द्वारा शासित होने के विकल्प का प्रयोग, मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाया जाएगा।

46. इस मामले में, अपीलार्थी ने धारा के तहत आवेदन किया

125 Cr.P.C. पत्नी के रूप में भरण-पोषण का दावा करना। कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि अपीलार्थी के पति ने 'तीन तलाक' विधि से उसे तलाक दे दिया था, जिसके बाद अपीलार्थी के आवेदन को मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 के तहत एक आवेदन के रूप में माना गया था। यह. यह ध्यान रखना उचित होगा कि मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद 'तीन तलाक' द्वारा तलाक अब वैध नहीं है।

47. इस न्यायालय के निर्धारण के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह है:

क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 का अधिनियम, विशेष रूप से धारा 3 (2), 3 (3), 3 (4), 4 (सी), 4 (2) और 7 धारा 2 (सी) में "मजिस्ट्रेट" की परिभाषा के साथ पढ़ा जाता है, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा दायर आवेदन पर विचार करने या निर्णय लेने के लिए परिवार न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को निहित रूप से प्रतिबंधित करता है। रखरखाव। मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम का एक कठोर, संकुचित अध्ययन, उसके तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र के परिवार न्यायालय अधिनियम के तहत गठित परिवार न्यायालयों को अस्वीकार करने के लिए, मेरे विचार में कानून में अस्वीकार्य है।

48. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि महिलाओं और पुरुषों से संबंधित व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों के संबंध में अकेले परिवार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। मुस्लिम महिलाओं के विवाह, तलाक आदि से संबंधित पारिवारिक मामलों का फैसला पारिवारिक अदालतों द्वारा किया जाता है, साथ ही मुस्लिम पत्नियों के भरण-पोषण के दावों को भी Cr.P.C की धारा 125 के तहत किया जाता है। तलाकशुदा मुस्लिम [2020] 7 एस. सी. आर. को अलग करने का कोई कारण नहीं हो सकता है।

पत्नियों को पारिवारिक न्यायालयों में प्रवेश से वंचित करना, और यह कि मेरे विचार में, मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम का विधायी इरादा कभी नहीं था। 49. कानून के समक्ष समानता और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में परिकल्पित कानूनों का समान संरक्षण प्रक्रियात्मक कानूनों पर उतना ही लागू होता है जितना कि मूल कानूनों पर। इस प्रस्ताव को पश्चिम बंगाल राज्य बनाम में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन मिलता है। अनवर अली सरकार ने ए. आई. आर 1952 एस. सी. 75 में रिपोर्ट किया। डी. के. यादव बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया जा सकता है। जे. एम. ए. इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने (1993) 3 एस. सी. सी. 259 में प्रतिवेदन दिया जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 10. राज्य में डब्ल्यू. बी. वी. अनवर अली सरकार ने बहुमत से, सात न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि प्रक्रिया का नियम कानून अनुच्छेद 14 के दायरे में आता है

मूल कानून के किसी भी नियम के रूप में संविधान।

50. लक्ष्मण दास बनाम। पंजाब राज्य ने ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 222 में रिपोर्ट की, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने स्वीकार किया कि अनुच्छेद 14

चाहे वह मूल हो या प्रक्रियात्मक, भेदभावपूर्ण विधान को निषिद्ध किया गया है। हालांकि, बहुमत ने पाया कि अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण को मना नहीं करता है और तदनुसार एक कानून की चुनौती को खारिज कर दिया जो स्टेट बैंक के ग्राहकों से बकाया की वसूली के लिए एक विशेष प्रक्रिया प्रदान करता है। लक्ष्मण दास (ऊपर) में बहुमत का मत थाः

" 22 ..... कानून अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि जबकि Art.14 एक व्यक्ति या उसके खिलाफ निर्देशित भेदभावपूर्ण कानून को प्रतिबंधित करता है।

व्यक्तियों का वर्ग, यह उचित को मना नहीं करता है

वर्गीकरण, और इस उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह भी एक वर्ग हो सकता है। प्रोफेसर विलिस अपने संवैधानिक कानून पी में कहते हैं। 580 " एक व्यक्ति पर लागू होने वाला कानून या

व्यक्तियों का एक वर्ग संवैधानिक है यदि पर्याप्त आधार है

या इसका कारण।

23. ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर हमारी राय है कि पटियाला स्टेट बैंक अपने आप में एक वर्ग है और इसके संबंध में कानून बनाना राज्य की शक्ति के भीतर होगा। हमारा यह भी मानना है कि पटियाला के बीच अंतर है।

स्टेट बैंक और अन्य बैंकों का कानून के उद्देश्य पर तर्कसंगत प्रभाव है। यदि पटियाला स्टेट बैंक की निधि राज्य निधि है, तो एक ऐसा कानून जो अपने ग्राहकों से बैंक को देय राशि के निर्धारण और वसूली की प्रक्रिया को एना नाहिद @रेशमा @सना और ए. एन. आर. के निर्धारण के लिए निर्धारित करता है।

वी. साहिदुल हक चिश्ती [इंदिरा बनर्जी, जे।]

और राजस्व के बकाया की वसूली होनी चाहिए

विधान के उद्देश्य के लिए न्यायसंगत और उचित संबंध।

एक कानून जो राज्य के धन को आगे बढ़ाने का प्रावधान करता है

स्टेट बैंक के माध्यम से ग्राहक भी राजस्व की तरह ही इसकी वसूली की व्यवस्था कर सकते हैं।

51. जे. सुब्बा राव ने एक अलग असहमतिपूर्ण निर्णय देते हुए कहाः

" 51. यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि बराबरी की गारंटी

संरक्षण मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक कानूनों के खिलाफ लागू होता है। जेनिंग्स ने अपने "संविधान के कानून", तीसरे संस्करण में लिखा है। , पी. 49 व्यवहार की समानता के विचार का वर्णन इस प्रकार करता हैः .....'

52. यह सच है कि जे. सुब्बा राव का दृष्टिकोण अल्पमत का था। जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, जे. सुब्बा द्वारा संक्षेपित कानून के प्रस्ताव में बहुमत और अल्पसंख्यक के बीच कोई अंतर नहीं था।

53. मीनाक्षी मिल्स बनाम। विश्वनाथ शास्त्री ने आकाशवाणी में रिपोर्ट किया

एस. सी. 13, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निर्णय दियाः

" 6. ..... इस भाग का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को गारंटी देता है -

कानून के समक्ष समानता का अधिकार और समान संरक्षण का अधिकार

भारत के क्षेत्र के भीतर कानून। यह लेख न केवल

मूल कानूनों के संबंध में समान सुरक्षा की गारंटी देता है लेकिन

प्रक्रियात्मक कानून भी इसके दायरे में आते हैं। अनुच्छेद का निहितार्थ यह है कि समान रूप से स्थित सभी वादियों को राहत के लिए समान प्रक्रियात्मक अधिकारों का लाभ उठाने का अधिकार है।

और समान सुरक्षा के साथ और बिना रक्षा के

भेदभाव। इसलिए 1947 के अधिनियम 30 के प्रक्रियात्मक प्रावधानों को अनुच्छेद 14 की चुनौती का सामना करना पड़ा और

केवल तभी बनाए रखा जाए जब वे उस चुनौती का सामना करें।

54. बुधन चौधरी बनाम। बिहार राज्य ने ए. आई. आर. 1955 91 में बताया कि इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक Cr.P.C की धारा 30 में कहा गया है किः

" 5. संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान इस न्यायालय के समक्ष कई मामलों में चर्चा के लिए सामने आए हैं, जिनके नाम हैं, चिरनजीत लाल चौधरी बनाम। भारत संघ [ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 41], बॉम्बे राज्य बनाम। एफ. एन. बलसारा [ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 318], पश्चिम बंगाल राज्य

बनाम। अनवर अली सरकार [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 75], काठी रानींग रावत बनाम। सौराष्ट्र राज्य [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 123], लच्मंडस केवलराम आहूजा बनाम। बॉम्बे राज्य [ए. आई. आर 1952 [2020] 7 एस. सी. आर.

एस. सी. 235] और कासिम रजवी बनाम। हैदराबाद राज्य [ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 156] और हबीब मोहम्मद बनाम। हैदराबाद राज्य [ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 287]। इसलिए इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।

विचाराधीन लेख के अर्थ, दायरे और प्रभाव के बारे में कोई लंबी चर्चा। अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को मना करता है, लेकिन यह मना नहीं करता है।

विधान के प्रयोजनों के लिए उचित वर्गीकरण। में। तथापि, अनुमेय वर्गीकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करने का आदेश

विभेदक का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे विचाराधीन क़ानून द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर स्थापित किया जा सकता है; अर्थात्, भौगोलिक, या

वस्तुओं या व्यवसायों या इसी तरह के अनुसार। क्या है?

आवश्यक है कि वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच एक संबंध होना चाहिए। इस न्यायालय के निर्णयों से यह भी अच्छी तरह से स्थापित होता है कि अनुच्छेद 14 न केवल एक मूल कानून द्वारा बल्कि प्रक्रिया के कानून द्वारा भी भेदभाव की निंदा करता है। अपीलार्थियों के मुकदमे की अयोग्यता के बारे में अब सामने रखे गए विवाद का परीक्षण इस प्रकार निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में किया जाना चाहिए।

इस न्यायालय के निर्णयों में "।

55. मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) में गैर-अस्थाई खंड, प्रभावी और सार रूप में, यह प्रदान करता है कि एक तलाकशुदा मुसलमान

महिला केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 (1) में प्रदान किए गए भरण-पोषण की हकदार होगी, जैसा कि यहाँ ऊपर उल्लिखित है, Cr.PC की धारा 125 सहित किसी भी अन्य कानून के बावजूद। 56. अब यह तय हो गया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला अपने पति से आई. डी. 1 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती है।

मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 अधिनियम का अधिनियमन। हालाँकि, मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के तहत, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भरण-पोषण के आदेश की हकदार है, यदि वह इद्दत अवधि के बाद अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है और उसने पुनर्विवाह नहीं किया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि एक तलाकशुदा महिला और उसका पूर्व पति एक हलफनामे या किसी अन्य लिखित घोषणा द्वारा निर्णय ले सकते हैं, कि वे Cr.P.C की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होना पसंद करेंगे।

57. मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को इस न्यायालय द्वारा दानियाल लतीफी और अन्य बनाम में बरकरार रखा गया है। संघ का

भारत (ऊपर)। हालाँकि, इस न्यायालय का इस सवाल पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं है कि क्या परिवार न्यायालयों को मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत भरण-पोषण के लिए एक मुस्लिम महिला के आवेदन पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। 58. जैसा कि परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 में ऊपर देखा गया है, स्पष्ट रूप से परिवार न्यायालय को सभी मुकदमों और रखरखाव के लिए कार्यवाही के संबंध में, किसी भी जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ दीवानी न्यायालय द्वारा, उस समय लागू किसी भी कानून के तहत, सभी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। परिवार न्यायालय को रखरखाव से संबंधित Cr.P.C के अध्याय IX के तहत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग करने योग्य अधिकार क्षेत्र भी स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 (2) (बी) के तहत, परिवार न्यायालय ऐसी अन्य अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है जो उसे किसी अन्य अधिनियम द्वारा प्रदान की जा सकती है।

59. मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम के अधिनियमन से बहुत पहले अधिनियमित परिवार न्यायालय अधिनियम में स्पष्ट रूप से बाद के अधिनियम पर विचार नहीं किया गया था।

कानून। इसलिए, परिवार न्यायालय अधिनियम में मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। 60. धारा 8 धारा 7 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी भी वाद या प्रकृति की कार्यवाही के संबंध में जिला न्यायालय या अधीनस्थ दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को बाहर करती है और किसी आवेदन के संबंध में मजिस्ट्रेट की अधिकारिता को भी बाहर करती है।

Cr.P.C के अध्याय IX के तहत, एक बार जब Cr.P.C के अध्याय IX के तहत जिला न्यायालयों या अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों के साथ क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के साथ एक परिवार न्यायालय का गठन किया जाता है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम के अधिनियमन के बाद परिवार न्यायालय अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में पारिवारिक न्यायालयों को स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र प्रदान करना।

61. इस प्रकार प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि परिवार न्यायालयों के पास मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग करने योग्य अधिकार क्षेत्र नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की, मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम के बाद से, परिवार न्यायालयों को ऐसा कोई अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है, और परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 7 केवल अध्याय IX के तहत भरण-पोषण के लिए कार्यवाही के संबंध में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र के साथ परिवार न्यायालय को जोड़ती है।

Cr.P.C का।

62. यदि परिवार न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में कोई अस्पष्टता है, तो पद के उपयोग के कारण अधीनस्थ दीवानी न्यायालय

संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय साधनों के तहत देश की प्रतिबद्धताएं और सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू. जैसे करार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिवार न्यायालय अधिनियम 1986 के मुस्लिम अधिनियम से दो साल पहले अधिनियमित किया गया था।

औरतें।

63. इकबाल बानो बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य ", इस न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 का अधिनियम केवल तलाकशुदा महिलाओं पर लागू होता है

और ऐसी महिला के लिए नहीं जिसका तलाक नहीं हुआ था। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आई. डी. 1 की धारा 125 के तहत कार्यवाही सिविल प्रकृति की थी, और यदि यह देखा गया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला थी जिसने धारा 125 करोड़ के तहत आवेदन किया था। पी. सी., यह न्यायालय के लिए खुला था कि वह कानून की लाभकारी प्रकृति को देखते हुए इसे मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम के तहत एक याचिका के रूप में माने।

64. धारा 3 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान किया गया है कि जहां उचित और निष्पक्ष प्रावधान और रखरखाव या मह्र या दहेज की राशि देय है।

यदि ऐसा नहीं किया गया है या भुगतान नहीं किया गया है या धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (डी) में निर्दिष्ट संपत्तियों को तलाकशुदा महिला को उसके तलाक पर नहीं दिया गया है, तो वह या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत कोई व्यक्ति, उसकी ओर से, ऐसे भुगतान के आदेश के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है।

प्रावधान और रखरखाव, महर या दहेज या संपत्तियों का वितरण, जैसा भी मामला हो। मेरे विचार में, अधिकार क्षेत्र वाले परिवार न्यायालय को निर्णय लेने के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 (2), 3 (3), 4 (1), 4 (2), 5 और 7 के साथ परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 और 8 के सामंजस्यपूर्ण संयुक्त पठन और निर्माण पर एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला का भरण-पोषण का दावा।

परिवार न्यायालय अधिनियम।

रखरखाव या मेहर या डोअर या डिलीवरी के भुगतान के लिए एक आदेश के लिए संपत्ति, जैसा भी मामला हो। गैर-अवरोध खंड प्रतिबंधित है।

4 (2007) 6 एस. सी. सी. 785 राणा नाहिद @रेशमा @सना और ए. एन. आर. वी. साहिदुल हक चिश्ती [इंदिरा बनर्जी, जे।]

मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 (2) और परिवार न्यायालय अधिनियम के बीच। दूसरी ओर, परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 20 परिवार न्यायालय अधिनियम को किसी भी अन्य लागू कानून में निहित कुछ भी होने के बावजूद प्रबल प्रभाव देती है। परिवार न्यायालय भरण-पोषण के लिए किसी कार्यवाही के संबंध में किसी भी जिला न्यायालय या किसी अन्य अधीनस्थ दीवानी न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी अधिकारिता का प्रयोग करेगा। 66. मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 का अधिनियम अनिवार्य रूप से एक नागरिक कानून है, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए भरण-पोषण का प्रावधान करता है।

कारावास केवल भरण-पोषण के आदेश का पालन न करने के लिए है। धारा 3 (2) और 1986 के अधिनियम की अन्य धाराओं में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, जिला न्यायालय के अधीनस्थ दीवानी न्यायालय माना जाता है।

67. हालाँकि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम के कारण आई. डी. 1 की धारा 125 के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन संसद ने अपने विवेक में इसे आवश्यक माना है -

रखरखाव के लिए आवेदनों में शीघ्र आदेशों के लिए प्रावधान करें

तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं द्वारा दायर किया गया। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कि मुस्लिम महिलाओं को मजिस्ट्रेट से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है और मजिस्ट्रेट को आवेदन दायर करने की तारीख से एक महीने के भीतर एक आदेश देने की आवश्यकता है और मजिस्ट्रेट का आदेश उसी तरह से निष्पादित किया जा सकता है जैसे कि Cr.PC के तहत जुर्माना लगाया जाता है। मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन करने पर कारावास की सजा होती है जो एक वर्ष तक बढ़ सकती है या यदि जल्द ही भुगतान किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को बचाव में सुना जा सकता है और Cr.PC के प्रावधानों के अनुसार सजा दी जा सकती है।

68. मेरे विचार में, मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम का इरादा तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को वादी से वंचित करना कभी नहीं था

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की अनुकूल प्रक्रियाएँ और तलाकशुदा मुसलमान के भरण-पोषण के लिए आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र के पारिवारिक न्यायालयों को अस्वीकार करना। महिलाएँ।

69. यदि धारा 125 Cr.P.C के तहत कार्यवाही सिविल प्रकृति की है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा इकबाल बानो (सुप्रा) में अभिनिर्धारित किया गया है, तो मजिस्ट्रेट का न्यायालय धारा 125 Cr.P.C के तहत एक आवेदन से निपटने को धारा 125 Cr.P.C के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से एक दीवानी न्यायालय माना जाना है। तर्क की समानता पर, मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3/4 के तहत एक आवेदन भी दीवानी प्रकृति का है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3/4 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने वाला न्यायालय है

दीवानी न्यायालय माना जाए।

70. इस प्रकार, परिवार न्यायालय के पास परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के तहत धारा 3 के तहत एक आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

और मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम का 4, क्योंकि इस तरह के आवेदन से निपटने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय को जिला न्यायालय के अधीनस्थ दीवानी न्यायालय माना जाना है।

71. भरण-पोषण की मांग करने वाली तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को अलग करने के लिए "अधीनस्थ दीवानी न्यायालय" अभिव्यक्ति की एक शाब्दिक और कठोर व्याख्या

जब अन्य सभी महिलाएं चाहे तलाकशुदा हों या नहीं और यहां तक कि मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा नहीं हैं, वे भी पारिवारिक अदालतों का दरवाजा खटखटा सकती हैं, तो उनके पतियों से पारिवारिक अदालतों तक पहुंच, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।

संविधान। 72. यह सच है कि एक मामला जो होना चाहिए था, लेकिन एक क़ानून में प्रदान नहीं किया गया है, अदालतों द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है, ऐसा करने के लिए

यह कानून होगा, निर्माण नहीं। लेकिन यह कोई धारणा नहीं है कि एक 'केसस ओमिसस' मौजूद है और भाषा अनुमति देती है, अदालतों को एक 'केसस ओमिसस' बनाने से बचना चाहिए जहां कोई नहीं है।

73. डेनिंग, एल. जे. को सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम में उद्धृत करने के लिए। एशर

(1949) 2 ऑल ई. आर. 155 में सूचित किया गयाः

" जब कोई दोष प्रकट होता है तो एक न्यायाधीश केवल अपने हाथ जोड़कर ड्राफ्ट्समैन को दोषी नहीं ठहरा सकता है। उसे काम करने के लिए तैयार होना चाहिए

संसद के इरादे का पता लगाने का रचनात्मक कार्य और फिर उसे लिखित शब्दों का पूरक होना चाहिए ताकि विधानमंडल के इरादे को बल और जीवन दिया जा सके। एक न्यायाधीश को खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि अगर अधिनियम के निर्माताओं को स्वयं इसकी बनावट में इस गड़बड़ी का पता चलता, तो वे इसे कैसे ठीक करते? फिर उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा उन्होंने किया होगा। एक न्यायाधीश को उस सामग्री को नहीं बदलना चाहिए जिससे अधिनियम बुना गया है, लेकिन वह क्रीज को इस्त्री कर सकता है और उसे करना चाहिए।

74. उच्चतम न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में 'उद्योग' की परिभाषा पर विचार करते हुए बैंगलोर जल आपूर्ति बनाम. ए. राजप्पा 'ने निर्माण के नियम को मंजूरी दी डेनिंग, एल. जे. इस न्यायालय ने परिभाषा को बहुत सामान्य और अस्पष्ट पाया। बी. ई. जी., सी. जे. आई. ने कहा कि स्थिति ने "उठाए गए कठिनाइयों से निपटने के लिए कुछ न्यायिक वीरता" की मांग की। कृष्ण अय्यर, जे. जिन्होंने सीफोर्ड कोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड बनाम में डेनिंग, एल. जे. के निर्णय से ऊपर निकाले गए मार्ग को अनुमोदन के साथ संदर्भित उस मामले में प्रमुख बहुमत निर्णय दिया। आशेर (ऊपर)।

75. कानून का प्रस्ताव जो ऊपर उल्लिखित निर्णयों से उभरता है, वह यह है कि अपने व्याख्यात्मक कार्य को पूरा करने में, अदालत स्पष्ट मसौदा त्रुटियों को भी ठीक कर सकती है। एक उपयुक्त मामले में,

" अदालत शब्द जोड़ेगी, या शब्दों को हटा देगी या शब्दों को प्रतिस्थापित करेगी। लेकिन किसी क़ानून की इस तरह से व्याख्या करने से पहले न्यायालय को तीन मामलों के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित होना चाहिएः (1) (2) अनजाने में प्रारूपक और संसद प्रश्नगत प्रावधान में उस उद्देश्य को प्रभावी बनाने में विफल रहे और (3) प्रावधान का सार संसद ने बनाया होता, हालांकि जरूरी नहीं कि संसद ने सटीक शब्दों का उपयोग किया होता, अगर विधेयक में त्रुटि देखी गई होती।

76. बेशक इस मामले में, इस न्यायालय ने कुछ भी जोड़ा, छोड़ा या प्रतिस्थापित नहीं किया है। इस न्यायालय ने केवल एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी है

मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम के तहत भरण-पोषण के लिए कार्यवाही करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के न्यायालय को शामिल करने के लिए परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 में अधीनस्थ दीवानी न्यायालय पद के लिए, जो सार और सार में दीवानी कार्यवाही हैं। 77. वेंकटरामा अय्यर, जे. को तीरथ सिंह बनाम में उद्धृत करने के लिए। बचित्तर सिंह "जहाँ एक क़ानून की भाषा, अपने सामान्य अर्थ में

5 ए. आई. आर 1978 एस. सी. 548 6 ए. आई. आर 1955 एस. सी. 830 [2020] 7 एस. सी. आर.

मॉडर्न स्कूल v में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है। भारत संघ ने (2004) 9 एस. सी. सी. 741 में रिपोर्ट किया।

79. मेरा विचार है कि परिवार न्यायालय को, ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, अपीलार्थी के आवेदन को परिवर्तित करने का अधिकार क्षेत्र था

मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 के अधिनियम की धारा 3 के तहत एक आवेदन में Cr.P.C की धारा 125 के तहत और उसी पर निर्णय लेने के लिए।

80. मेरे विचार में, अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। अपील के तहत निर्णय और आदेश को दरकिनार किया जा सकता है।

आदेश

विचारों के अंतर और विशिष्ट निर्णयों को ध्यान में रखते हुए

(माननीय आर. भानुमति, जे. ने अपील को खारिज कर दिया और माननीय इंदिरा बनर्जी, जे. ने अपील को स्वीकार कर लिया), मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि मामले को बड़ी पीठ को भेजा जा सके।

मामला बड़ी पीठ को

भेजा गया

दिव्या पांडे [2020] 7 एस. सी. आर. 369

रिया चक्रवर्ती

वी.

बिहार राज्य और ओ. आर. एस.

(स्थानांतरण याचिका (सीआरएल) 2020 की संख्या 225)

19 अगस्त, 2020

[ऋषिकेश रॉय, जे।]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस। 406 – जांच को स्थानांतरित करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति (मामला या अपील नहीं)-आयोजितः एस. 406 सी. आर. पी. सी. उच्चतम न्यायालय को मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने का अधिकार देता है-हालांकि, दूसरी ओर राम चंदर सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच के हस्तांतरण को अस्वीकार कर दिया गया था।

सागर और अन्र। वी. तमिलनाडु राज्य-इसलिए, यू/एस शक्ति के समोच्च पर विचार करते हुए। 406 सी. आर. पी. सी., यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि केवल मामले और अपील (जांच नहीं) स्थानांतरित किए जा सकते हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस। 174 - चाहे कार्यवाही यू/एस। 174 अप्राकृतिक मौत की जांच के लिए पुलिस द्वारा की गई सी. आर. पी. सी. को जांच कहा जा सकता है-आयोजितः कार्यवाही यू/एस। 174 सी. आर. पी. सी. अप्राकृतिक मृत्यु के स्पष्ट कारण का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा की गई जांच तक सीमित है-ये जांच की प्रकृति में नहीं हैं, जो यू/एस. एफ. आई. आर. दर्ज करने के बाद की गई हैं। 154 सीआरपीसी।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - s.181 (4)-- कुछ अपराधों के मामले में मुकदमे का स्थान-एक अभिनेता की अप्राकृतिक मृत्यु

मुंबई-दिवंगत अभिनेता के पिता ने यू/एस में प्राथमिकी दर्ज कराई है। 341 , 342 , 380 , 406 , 420 , 306 , 506 और पटना में आई. पी. सी. के 120 बी. में अन्य अपराधों के साथ आपराधिक विश्वासघात और धन की हेराफेरी का आरोप लगाया गया-क्या यह पटना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में था कि वह एफ. आई. आर. दर्ज करे और कथित अपराधों की जांच शुरू करे।

मामले की जांच करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र-तत्काल मामले में, विश्वास के आपराधिक उल्लंघन से संबंधित आरोप और धन का दुरूपयोग जिसका अंत में हिसाब किया जाना था

पटना में (जहाँ शिकायतकर्ता रहता है), प्रथम दृष्टया हो सकता है

– इसके अलावा, जाँच के स्तर पर, उन्हें मुंबई पुलिस को एफ़. आई. आर. स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 - एस. 6-एक अभिनेता की अप्राकृतिक मृत्यु

मुंबई-पुलिस यू/एस द्वारा जांच। 174 सी. आर. पी. सी.-मृतक अभिनेता के पिता ने यू/एस. एस. के तहत एफ. आई. आर. दर्ज की। 341 , 342 , 380 , 406 , 420 , 306 , 506 और पटना में आई. पी. सी. की 120 बी-बिहार सरकार ने इसके लिए सहमति दी

जाँच को सी. बी. आई. यू/एस. को हस्तांतरित करें। 6 डी. एस. पी. ई. अधिनियम-यदि सी. बी. आई. द्वारा जाँच की जाती है तो याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है-हालाँकि, भविष्य में, यदि यू/एस. द्वारा संज्ञेय अपराध किया जाता है। 175 (2) सी. आर. पी. सी. निर्धारित है, मुंबई पुलिस द्वारा समानांतर जांच की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है-आयोजितः द्वारा चल रही जाँच

सी. बी. आई. वैध है-यदि उसी मुद्दे पर मुंबई में एक नया मामला दर्ज किया जाता है, तो चीजों की योग्यता में, यह उचित होगा कि बाद वाले मामले की भी उसी एजेंसी द्वारा जांच की जाए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बल पर-इस तरह के सक्षम आदेश से सी. बी. आई. के लिए नए मामले की जांच करना संभव हो जाएगा। 6 डी. एस. पी. ई. अधिनियम, जिसके लिए महाराष्ट्र राज्य से सहमति की आवश्यकता होती है-इसलिए, सी. बी. आई. ने नए मामले की भी जांच करने का निर्देश दिया।

स्थानांतरण याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः धारा 406 के तहत हस्तांतरण शक्ति

सीआरपीसी

1. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 उच्चतम न्यायालय को मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने का अधिकार देती है। इस शक्ति के प्रयोग का दायरा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए है। उदाहरणों से पता चलता है कि धारा 406 सीआरपीसी के तहत स्थानांतरण याचिका उन मामलों में दी गई थी जहां अदालत का मानना था कि मुकदमा पूर्वाग्रहपूर्ण हो सकता है और अगर मुकदमा जारी रहता है तो निष्पक्ष और निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

हालांकि, दूसरी ओर राम चंदर सिंह सागर और अन्न के मामले में इस अदालत ने जांच के हस्तांतरण को अस्वीकार कर दिया था। बनाम तमिलनाडु राज्य, (1978) 2 एस. सी. सी. 35. [पैरा 15] [380-सी-डी] रिया चक्रवर्ती v.

बिहार राज्य और ओ. आर. एस.

2. के तहत शक्ति के समोच्च पर विचार करना

सी. आर. पी. सी. की धारा 406 के अनुसार, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि केवल मामले और अपील (जांच नहीं) स्थानांतरित किए जा सकते हैं। राम चंदर में अनुपात सिंह सागर और अन्र। , वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से लागू होता है। [पैरा 17] [381-डी-ई]

धारा 174 सीआरपीसी प्रक्रिया का दायरा

3. सीआरपीसी की धारा 174 के तहत कार्यवाही अप्राकृतिक मौत के स्पष्ट कारण का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा की गई जांच तक सीमित है। ये जाँच की प्रकृति में नहीं हैं,

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कार्रवाई की गई। में

तत्काल मामला, मुंबई में, अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। मुंबई पुलिस ने न तो संज्ञेय अपराध के संदेह में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 (2) के तहत मामले पर विचार किया है और न ही धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आगे बढ़ी है या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के तहत मामले को अधिकार क्षेत्र वाले निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजा है। [पैरा 18] [381-ई-जी]

4. वर्तमान मामले में मुंबई पुलिस ने बिना कोई प्राथमिकी दर्ज किए धारा 174 के दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया है।

और इसलिए, जैसा कि यह प्रतीत होता है, मुंबई पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध करने के अनुसार कोई जांच नहीं की जा रही है। उन्होंने अभी तक एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की है। न ही उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 (2) के संदर्भ में कोई उपयुक्त निर्धारण किया है। इसलिए, यह मान लेना पूर्व-शून्य और अपरिपक्व है कि मुंबई पुलिस द्वारा एक समानांतर जांच की जा रही है। अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में दो अदालतों द्वारा संज्ञान लिए जाने की भविष्य की संभावना के मामले में, इस मुद्दे को सीआरपीसी की धारा 186 और अन्य लागू कानूनों के तहत हल किया जा सकता है। इसलिए भविष्य की आकस्मिकता पर कोई राय व्यक्त नहीं की जाती है और इस मुद्दे को कानून के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो तय करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। [पैरा 20] [382-एफ-एच]

पंजीकरण के लिए पटना पुलिस का न्यायनिर्णयन

शिकायत 5. इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि पटना पुलिस ने पंजीकरण में कोई अवैधता नहीं की

शिकायत। शिकायत में आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, जो गबन और विश्वासघात से भी संबंधित है, बिहार पुलिस द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग [2020] 7 एस. सी. आर. को प्रतीत होता है।

क्रम में रहें। जाँच के स्तर पर, उन्हें मुंबई पुलिस को एफ़. आई. आर. स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसी कारण से,

बिहार सरकार सी. बी. आई. को जाँच सौंपने के लिए सहमति देने में सक्षम थी और इसलिए सी. बी. आई. द्वारा चल रही जाँच को विधिसम्मत माना जाता है। [पैरा 30] [386-डी-एफ]

जाँच पर निर्देश

6. सी. बी. आई. द्वारा चल रही जाँच को विधिसम्मत माना जाता है। यदि उसी पर मुंबई में एक नया मामला दर्ज किया जाता है

इस मुद्दे पर, चीजों की योग्यता में, यह उचित होगा यदि बाद वाले मामले की भी इस अदालत के आदेश के बल पर उसी एजेंसी द्वारा जांच की जाती है। इस तरह के सक्षम आदेश से सी. बी. आई. के लिए दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा 6 की कठोरता से बचते हुए नए मामले की जांच करना संभव हो जाएगा, जिसके लिए महाराष्ट्र राज्य से सहमति की आवश्यकता होती है। [पैरा 36] [389-ई]

7. ऐसी पृष्ठभूमि में, जांच में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने और मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करना उचित समझता है। निर्दिष्ट रोस्टर के लिए वैध अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय के रूप में, वर्तमान मामले में पूर्ण शक्ति के प्रयोग के लिए कोई बाधा नहीं देखी जाती है। अतः इसके अनुसार

यदि अभिनेता और उसके आसपास की मौत पर कोई अन्य मामला दर्ज किया जाता है, तो चल रही सीबीआई जांच के लिए मंजूरी उनकी अप्राकृतिक मृत्यु की परिस्थितियों में, सी. बी. आई. को नए मामले की भी जांच करने का निर्देश दिया जाता है। [पैरा 41] [391-ए-सी]

राम चंदर सिंह सागर और अन्र। वी. तमिलनाडु राज्य (1978) 2 एससीसी 35: [1978] 2 एससीआर 604; मनोज के शर्मा बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2016) 9 एस. सी. सी. 1: [2016] 7 एस. सी. आर. 154; ललिता कुमारी बनाम। सरकार. उत्तर प्रदेश (2014) 2 एस. सी. सी. 1: [2013] 14 एससीआर 713; सतविंदर कौर बनाम। राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार) (1999) 8 एस. सी. सी. 728: [1999] 3 पूरक। एस. सी. आर. 348; वाई. अब्राहम अजीत बनाम। पुलिस निरीक्षक,

चेन्नई और एन. आर. (2004) 8 एस. सी. सी. 100 [2004] 3 पूरक। एससीआर 604; असित भट्टाचार्जी बनाम। हनुमान प्रसाद ओझा (2007) 5 एससीसी 786: [2007] 6 एस. सी. आर. 939; रसिकला दलपतराम ठक्कर बनाम। गुजरात राज्य (2010) 1 एससीसी 1: [2008] 7 एससीआर 1102; ली कुन ही, अध्यक्ष, आरएचईए चक्रवर्ती बनाम।

बिहार राज्य और ओ. आर. एस.

सैमसंग निगम, दक्षिण कोरिया और अन्य बनाम। राज्य

उत्तर प्रदेश और अन्य। (2012) 3 एससीसी 132: [2012] 4 एस. सी. आर. 287-निर्भर।

अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम। भारत संघ (2020) एससीसी

ऑनलाइन एससी 462; नरेश कवरचंद खत्री बनाम। की स्थिति गुजरात (2008) 8 एससीसी 300: [2008] 7 एस. सी. आर 1102; राज्य

डब्ल्यू. बी. वी. लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण के लिए समिति (2010) 3 एससीसी 571: [2010] 2 एस. सी. आर. 979-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1978] 2 एससीआर 604

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

[2016] 7 एससीआर 154

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

[2013] 14 एससीआर 713

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

[1999] 3 पूरक। एससीआर 348

उस पर भरोसा करें

पै

रा 24

[2004] 3 पूरक। एससीआर 604

उस पर भरोसा करें

पै

रा 25

[2007] 6 एससीआर 939

पै

रा 26

संदर्भित किया गया है

[2008] 7 एससीआर 1102

उस पर भरोसा करें

पा

रस 27,28

[2012] 4 एससीआर 287

उस पर भरोसा करें

पै

रा 29

[2010] 2 एससीआर 979

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः स्थानांतरण याचिका

(आपराधिक) 2020 की संख्या 225।

आपराधिक संहिता की धारा 406 के तहत दायर याचिकाएं

2020 की एफ. आई. आर. संख्या 241 दिनांकित 25.07.2020 के हस्तांतरण के लिए उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XXXIX के साथ पठित प्रक्रिया, 1973।

तुषार मेहता, एस. जी. श्याम दीवान, विकास सिंह, मनिंदर सिंह,

आर. बसंत, डॉ. ए. एम. सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सतीश मानशिंदे, मलक मनीष भट्ट, सुश्री देवांशी सिंह, गुरदीप सच्चर, सुश्री चांदनी घटक, रजत बेक्टर, सुश्री आनंदिनी फर्नांडीस, निखिल मानशिंदे, वरुण सिंह, नितिन सलूजा, वेंकटेश, सुश्री दीपिका कालिया, अक्षय देव, सुश्री दीप्ति आर्य, ऋषभ राणा, मृत्युंजय सिंह, सुश्री सात्विक मिश्रा, विकास मैनी, सुहेल बटान, कपीश सेठ, रजत नायर, कानू अग्रवाल, बीवी

बलराम दास, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, अमित भंडारी, जियो जोसेफ, मनु शर्मा, अक्षय सहाय, केशव मोहन, प्रशांत कुमार, ऋषि कुमार अवस्थी, पीयूष वत्स। उपस्थित दलों के लिए।

20] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ऋषिकेश रॉय, जे।

1. यह स्थानांतरण याचिका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "सी. आर. पी. सी".) की धारा 406 के तहत दायर की गई है, जिसे आदेश XXXIX के साथ पढ़ा जाता है।

राजीव नगर पुलिस थाना, पटना में पंजीकृत भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 341,342,380,406,420,306,506 और 120 बी (संक्षेप में "आई. पी. सी".) के तहत 2020 की एफ. आई. आर. संख्या 241 (दिनांक 25.7.2020) को स्थानांतरित करने के अनुरोध के साथ उच्चतम न्यायालय के नियम, 2013 और सभी परिणामी कार्यवाही, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक के अधिकार क्षेत्र से।

मजिस्ट्रेट III, पटना सदर, अतिरिक्त मुख्य महानगर को

मजिस्ट्रेट, बांद्रा मुंबई। यह मामला मुंबई में अपने बांद्रा आवास पर 14.6.2020 पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की अप्राकृतिक मौत से संबंधित है। मृतक बांद्रा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में रहता था और वहीं, सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अप्राकृतिक मौत की सूचना दी गई थी।

2. याचिकाकर्ता मृतक की दोस्त है, और वह भी पिछले कई वर्षों से अभिनय के क्षेत्र में है। के खिलाफ आरोपों के संबंध में

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान, प्रतिवादी संख्या 1 (बिहार राज्य) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 (शिकायतकर्ता) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 (महाराष्ट्र राज्य) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी और श्री आर. बसंत और भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता की ओर से उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 4 (भारत संघ)

4. याचिकाकर्ता का तर्क है कि घटनाओं में आरोप लगाया गया है

मृतक के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पूरी तरह से महाराष्ट्र राज्य के अधिकार क्षेत्र में हुई है और इसलिए, प्राप्त शिकायत को जांच करने के लिए बांद्रा, मुंबई के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन को भेजा जाना चाहिए था।

आरएचईए चक्रवर्ती बनाम। बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [ऋषिकेश रॉय, जे।]

हालाँकि, अधिकार क्षेत्र की कमी के बावजूद, शिकायत पटना में केवल बिहार पुलिस अधिकारियों पर लाए गए राजनीतिक दबाव के कारण दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान का तर्क है कि बिहार की अदालतें शिकायत के विषय में कानूनी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करती हैं और चूंकि शिकायत में आरोप लगाए गए कार्य मुंबई के अधिकार क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए शिकायतकर्ता के पटना के निवासी होने का मात्र तथ्य बिहार पुलिस को जांच करने का अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करता है। बाद में जाँच को सी. बी. आई. को हस्तांतरित करने की ओर इशारा करते हुए, श्री दीवान का तर्क है कि चूंकि बिहार पुलिस के पास शिकायत में आरोपों की जाँच करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए बिहार सरकार की सहमति से जाँच को सी. बी. आई. को स्थानांतरित करना, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (संक्षेप में "डी. एस. पी. ई. अधिनियम") की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की वैध सहमति के बराबर नहीं होगा। याचिकाकर्ता के अनुसार प्राथमिकी विरोधाभासी है और शिकायत यह खुलासा करने में विफल रहती है कि याचिकाकर्ता के कथित कार्यों के कारण अभिनेता की आत्महत्या कैसे हुई। याचिकाकर्ता का मानना है कि उसने मुंबई पुलिस की जांच में पूरा सहयोग किया है, लेकिन अगर जांच सी. बी. आई. द्वारा की जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान प्रस्तुत करते हैं कि इस मामले में न्याय किए जाने की आवश्यकता है और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियां दी जा सकती हैं।

न्यायालय द्वारा अनुरोध किया गया। 5. बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ वकील श्री मनिंदर सिंह ने कहा कि शिकायत में संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है।

और इसलिए, पटना पुलिस के लिए एफ. आई. आर. दर्ज करना और जाँच के साथ आगे बढ़ना अनिवार्य था। चूंकि आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और मृतक के खाते से धन की हेराफेरी के आरोप लगाए गए हैं, इसलिए अपराध के परिणाम बिहार राज्य के अधिकार क्षेत्र में होने का अनुमान है। वरिष्ठ वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुंबई पुलिस सीआरपीसी की धारा 174,175 के तहत अभिनेता की अप्राकृतिक मौत की जांच कर रही थी और इस तरह की कार्यवाही मौत के कारण का पता लगाने तक सीमित होने के कारण, यह अधिकार नहीं देता है

मुंबई पुलिस प्रत्यर्थी संख्या 2 की शिकायत में लगाए गए आरोपों की मुंबई में प्राथमिकी दर्ज किए बिना कोई भी जांच करेगी। गैर-सहयोग और बाधा का उल्लेख करते हुए

महाराष्ट्र के अधिकारियों ने बिहार पुलिस की एस. आई. टी. को, जो <आई. डी. 2 पर मुंबई पहुंची और पुलिस अधीक्षक, पटना को, जो <आई. डी. 1 पर मुंबई पहुंचे थे, पृथक-वास में हिरासत में लिया, वरिष्ठ वकील का तर्क है कि मुंबई पुलिस वास्तविक तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रही थी और एक निष्पक्ष और पेशेवर जांच नहीं कर रही थी। चूंकि कोई जांच नहीं हुई [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शिकायत दर्ज करने में पुलिस को कानूनी रूप से उचित माना जाता है। उस आधार पर, बिहार सरकार की सहमति डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 6 की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सी. बी. आई. को जाँच प्रस्तुत की जाती है। इसके अलावा, चूंकि याचिकाकर्ता ने खुद सीबीआई जांच की मांग की है और चूंकि सीबीआई ने तब से मामला दर्ज किया है और अपनी जांच शुरू की है, (बिहार राज्य के अनुरोध पर), वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह स्थानांतरण याचिका निष्फल है।

6. मृतक के पिता, श्री विकास सिंह की पीड़ा को पेश करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि शिकायतकर्ता ने अपना जीवन खो दिया है।

संदिग्ध परिस्थितियों में एकमात्र बेटा और स्वाभाविक रूप से सच्चाई को उजागर करने के लिए एक निष्पक्ष जांच में रुचि रखता था। सी. आर. पी. सी. की धारा 174 के तहत मुंबई पुलिस द्वारा की गई जांच शिकायतकर्ता के आरोपों की जांच नहीं है और इसलिए बिहार पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने और उन आरोपों की जांच को उचित माना जाता है। चूँकि पटना में केवल एक जाँच (कोई मामला या अपील नहीं) लंबित है, और एक कानूनी रूप से सक्षम जाँच शुरू हो गई है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा जाँच को स्थानांतरित करने के लिए धारा 406 की शक्ति का आह्वान योग्य नहीं माना जाता है। जब मृतक अभिनेता की संपत्ति और कथित अपराध से संबंधित संबंधित संपत्ति के संबंध में गबन और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया जाता है, तो अंततः शिकायतकर्ता (मृतक के प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में) को हिसाब देना होगा, पटना पुलिस की कार्रवाई को अधिकार क्षेत्र के भीतर होने का तर्क दिया जाता है।

सी. आर. पी. सी. की धारा 181 (4) के साथ पठित धारा 179 के तहत जो कथित अपराध के परिणामस्वरूप किसी अन्य स्थान पर होने वाले परिणामों की बात करता है।

7. महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉ. अभिषेक मनु

विद्वान वरिष्ठ वकील सिंघवी प्रस्तुत करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की उनके बांद्रा आवास पर आई. डी. 1 पर अप्राकृतिक मृत्यु के बाद, मुंबई पुलिस ने एक आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ए. डी. आर.) दर्ज की और मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए सी. आर. पी. सी. की धारा 174 के तहत जांच शुरू की और यह भी निर्धारित करने के लिए कि क्या मृत्यु कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए किसी आपराधिक कृत्य का परिणाम थी। जाँच के दौरान 56 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए और अन्य साक्ष्य जैसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट आदि एकत्र किए गए हैं। यदि जांच में संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है, तो मुंबई पुलिस एक प्राथमिकी दर्ज करेगी। डॉ. सिंघवी के अनुसार, कोई आर. एच. ई. ए. चक्रवर्ती वी. नहीं हो सकता है।

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [ऋषिकेश रॉय, जे।]

धारा 174 या धारा 175 सी. आर. पी. सी. कार्यवाही के समापन के लिए बाहरी समय सीमा। महाराष्ट्र राज्य के वकील का तर्क है कि प्रत्येक अपराध की जांच और मुकदमा आम तौर पर उस अदालत द्वारा किया जाएगा जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया था और उस आधार पर, डॉ. सिंघवी प्रस्तुत करते हैं कि बिहार पुलिस को शिकायत को मुंबई पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित कर देना चाहिए था। वैकल्पिक रूप से, वे "शून्य प्राथमिकी" दर्ज कर सकते थे और फिर मामले को जांच के लिए स्थानांतरित कर सकते थे

मुंबई पुलिस। संभावित दुरुपयोग की ओर इशारा करते हुए डॉ. सिंघवी ने कहा कि यदि किसी अन्य राज्य में शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाती है, तो यह एक व्यक्ति को जांच प्राधिकरण चुनने में सक्षम बनाएगा और अभ्यास में बाधा डालेगा। स्थानीय पुलिस द्वारा विधिसम्मत अधिकारिता। इससे देश के संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा। वरिष्ठ वकील ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार पुलिस शिकायत दर्ज करने में संकोच कर रही थी

प्रत्यर्थी संख्या 2 लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण वे प्रबल हो गए।

महाराष्ट्र के वकील ने प्रस्तुत किया कि मृतक के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने मुंबई पुलिस को दिए अपने बयानों में शिकायत में आरोपों के बारे में कभी उल्लेख नहीं किया और उन पर विचार और सुधार किए जाने की संभावना है। संवैधानिक योजना के तहत, राज्यों के पास अपराध की जांच करने की विशेष शक्ति होती है और वरिष्ठ वकील का तर्क है कि अपराध की जांच नियमित रूप से केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। जांच सी. बी. आई. को सौंपने के लिए बिहार पुलिस द्वारा दिए गए कारणों (ए) संवेदनशीलता और (बी) अंतर-राज्य प्रभावों का उल्लेख करते हुए, डॉ. सिंघवी का तर्क है कि कारण न तो स्पष्ट हैं और न ही प्रामाणिक हैं। वे प्रस्तुत करते हैं कि आम तौर पर, स्थानीय पुलिस को किसी भी कथित अपराध की जांच करनी चाहिए और असाधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीबीआई को जांच सौंपना एक अपवाद होना चाहिए, लेकिन यहां राजनीतिक आवश्यकताओं के लिए बिहार सरकार द्वारा सहमति दी गई थी।

8. श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल, पेश होते हैं

भारत संघ और सी. बी. आई. के लिए। उन्होंने अनुमान लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, लेकिन अभिनेता की अप्राकृतिक मौत की सीआरपीसी की धारा 174 के तहत केवल एक सीमित जांच कर रही है। 14.06.2020 पर अभिनेता की मृत्यु के बाद मुंबई पुलिस द्वारा किसी भी प्राथमिकी के अभाव में, मृतक के पिता के कहने पर पटना में दर्ज की गई एकमात्र प्राथमिकी लंबित होने का अनुमान है। इसलिए उनका तर्क है कि वर्तमान मामला दो अलग-अलग राज्यों में लंबित दो मामलों से संबंधित नहीं है। विरोधाभासी रुख और राज्य की पुलिस के दोनों राज्यों में बाहरी कारकों से प्रभावित होने के समानांतर आरोप का उल्लेख करते हुए, श्री मेहता प्रस्तुत करते हैं कि यह स्वयं [2020] 7 एस. सी. आर. को सौंपने को उचित ठहराता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी को जांच। विद्वान वकील

जनरल तब बताते हैं कि बिहार राज्य द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार करते हुए, सी. बी. आई. ने एफ़. आई. आर. दर्ज की है और शुरुआत की है।

जांच पड़ताल की। प्रवर्तन निदेशालय के अलावा, एक केंद्रीय एजेंसी भी धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत काम कर रही है। इसलिए उनका तर्क है कि एक निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सकती है यदि किसी भी राज्य की पुलिस को फिल्म अभिनेता की संदिग्ध मौत से संबंधित कथित अपराध की जांच से दूर रखा जाए। महाराष्ट्र पुलिस के इस हलफनामे को स्वीकार करते हुए कि उन्होंने धारा 174 की कार्यवाही में 56 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं, सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और मुंबई पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत सीमित कार्यों का निर्वहन कर रही है, इसलिए किसी भी मामले की जांच नहीं की जा सकती है।

एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद कथित अपराध अभी तक मुंबई में कानूनी रूप से शुरू नहीं हुआ है और इस तरह, महाराष्ट्र राज्य में ऐसा कोई मामला लंबित नहीं है जो धारा 406 के तहत शक्तियों के आह्वान को उचित ठहरा सके।

सीआरपीसी।

9. संविधान द्वारा परिकल्पित संघीय डिजाइन के तहत, पुलिस संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के तहत एक राज्य का विषय है।

प्रथम दृष्टया मुंबई पुलिस द्वारा कोई गलत काम किए जाने का संकेत मिलता है। हालांकि, मुंबई में बिहार पुलिस दल के लिए उनके अवरोध को टाला जा सकता था क्योंकि इससे उनकी जांच की प्रामाणिकता पर संदेह पैदा हुआ। मुंबई में पुलिस सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अप्राकृतिक मौत के कारण की केवल एक सीमित जांच कर रही थी और इसलिए, इस स्तर पर यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

एफ. आई. आर. दर्ज करके अप्राकृतिक मौत के अन्य पहलुओं की जांच करें। 11. मुंबई में भविष्य की आकस्मिकता के बारे में अनिश्चित, मृतक के पिता ने पटना में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें गंभीर आर. एच. ई. ए. चक्रवर्ती बनाम.

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [ऋषिकेश रॉय, जे।]

याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई और बिहार पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। मामला अब

बिहार सरकार के अनुरोध पर सी. बी. आई. द्वारा लिया गया। याचिकाकर्ता को सी. बी. आई. द्वारा जाँच के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिहार सरकार और पटना पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में संदेह है।

12. दूसरी ओर, शिकायतकर्ता और बिहार सरकार की ओर से अनुमान लगाया गया है कि मुंबई पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत सीमित जांच के दौरान भी राजनीतिक दबाव में वास्तविक दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। हालाँकि, महाराष्ट्र राज्य द्वारा इसका दृढ़ता से खंडन किया जाता है, जिसका रुख यह है कि बिहार पुलिस के पास महाराष्ट्र राज्य के भीतर हुए अपराध और आपराधिक कृत्यों की जाँच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

13. सी. बी. आई. को जाँच का हस्तांतरण एक नियमित घटना नहीं हो सकती है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में होनी चाहिए। एक कारक जिसे हालांकि केंद्रीय एजेंसी को शामिल करने के लिए प्रासंगिक माना जाता है, वह है "राज्य एजेंसियों के निष्पक्ष कामकाज में जनता का विश्वास" बनाए रखना, जैसा कि हाल ही में न्यायमूर्ति धनंजय वाई द्वारा पीठ के लिए दोहराया गया था।

चंद्रचूड़, अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ 2020 में

एससीसी ऑनलाइन एससी 462। यह भी न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण है कि जाँच एजेंसी का चयन करना अभियुक्त का काम नहीं है। तत्काल मामले में, दोनों राज्यों के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप लगाया जाता है जिसमें जांच को बदनाम करने की क्षमता होती है। इसलिए कानूनी प्रक्रिया को विश्वसनीय और कानूनी रूप से स्वीकार्य जांच के माध्यम से सही तथ्यों के रहस्योद्घाटन पर केंद्रित होना चाहिए। यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या

अप्राकृतिक मृत्यु कुछ आपराधिक कृत्यों का परिणाम थी। जाँच और उसके निष्कर्ष को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए, यह वांछनीय होगा मेरा विचार है कि प्राधिकरण को निर्दिष्ट करने के लिए, जिसे इस मामले में जांच करनी चाहिए।

14. इस स्तर पर, पक्षों के संबंधित रुख को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में विचार के लिए निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उत्पन्न होते हैं:

(क) क्या इस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत जांच (मामला या अपील नहीं) स्थानांतरित करने की शक्ति है;

(ख) क्या अप्राकृतिक मौत की जांच के लिए मुंबई पुलिस द्वारा की गई धारा 174 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही को जांच कहा जा सकता है; [2020] 7 एस. सी. आर.

(ग) क्या एफ. आई. आर. दर्ज करना और कथित घटनाओं की जाँच शुरू करना पटना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में था।

मुंबई में क्या हुआ? परिणामस्वरूप, बिहार सरकार द्वारा दी गई सहमति पर सी. बी. आई. द्वारा की गई जाँच की स्थिति क्या है; और

(घ) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाले एकल न्यायाधीश की शक्ति का दायरा क्या है और क्या यह न्यायालय ऐसा कर सकता है?

पूर्ण शक्ति के प्रयोग में पूर्ण न्याय करने के लिए निर्देश जारी करना।

धारा 406 सी. आर. पी. सी. के तहत हस्तांतरण शक्ति

15. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 406 उच्चतम न्यायालय को मामलों और अपीलों को स्थानांतरित करने का अधिकार देती है। इस शक्ति के प्रयोग का दायरा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए है। उदाहरणों से पता चलता है कि धारा 406 सी. आर. पी. सी. के तहत स्थानांतरण याचिका उन मामलों में दी गई थी जहां अदालत का मानना था कि मुकदमा पूर्वाग्रहपूर्ण हो सकता है और अगर मुकदमा जारी रहता है तो निष्पक्ष और निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की जा सकती है। हालांकि, जांच का हस्तांतरण राम चंदर सिंह सागर और अन्न के मामले में इस अदालत ने दूसरा पक्ष अस्वीकार कर दिया था। बनाम तमिलनाडु राज्य, (1978) 2 एस. सी. सी. 35. फैसला लिखते हुए न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर ने घोषणा की किः

" दंड प्रक्रिया संहिता इस न्यायालय को धारा 406 के तहत एक उच्च न्यायालय या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले या अपील को दूसरे उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन, यह इस न्यायालय को हस्तांतरण की शक्ति प्रदान नहीं करता है

देश में एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में केवल इसलिए जांच की जाती है क्योंकि पहली सूचना या रिमांड रिपोर्ट अदालत को भेजी जाती है। हमारे सामने आवेदन एक से उत्पन्न होता है

यह याचिका। "

2. यदि याचिकाकर्ताओं को जांच के दौरान दूर की अदालत में पेश होने का निर्देश दिया जा रहा है, तो उन्हें उचित आदेशों के लिए उस अदालत का रुख करना होगा ताकि उन्हें लंबी यात्रा या न्यायिक प्रक्रिया द्वारा अन्यथा छेड़ा न जाए। अगर

न्याय से इनकार किया जाता है, धारा 406 के तहत नहीं, अन्य निवारण हैं, हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ताओं के पास आर. एच. ई. ए. चक्रवर्ती v नहीं है।

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [ऋषिकेश रॉय, जे।]

जब तक परिस्थितियों या जाँच की प्रगति के कारण आवश्यक न हो जाए, तब तक उस अदालत को उपस्थित होने से मुक्त करने के लिए चुना गया। स्थानांतरण के आदेश की मांग करते हुए सीधे इस न्यायालय में आना गलत सड़क पर यात्रा करना है। हमें यकीन है कि यदि दूसरा याचिकाकर्ता बीमार है, जैसा कि प्रतिनिधित्व किया गया है, और इस तथ्य को अदालत के ध्यान में लाया जाता है जिसने उसकी उपस्थिति का निर्देश दिया है, तो प्रतिनिधित्व के पीछे सच्चाई होने की स्थिति में न्यायसंगत आदेश पारित किए जाएंगे। हमें शायद ही ज़रूरत पड़े।

कहते हैं कि अदालतों को अपनी प्रक्रियाओं का उपयोग इस उद्देश्य के लिए करना चाहिए न्याय को आगे बढ़ाना, न कि पक्षों को परेशान करना। वैसे भी, जहाँ तक स्थानांतरण की याचिका का संबंध है। ऐसा कोई गुण नहीं है जिसे हम देख सकते हैं और इसलिए हम इसे खारिज करते हैं।

16. याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत विपरीत संदर्भ जहां स्थानांतरण किया गया है

जांच की अनुमति दी गई थी, किसी भी तरह से, धारा 406 के तहत जांच को स्थानांतरित करने की क्षमता के प्रश्न पर निर्धारण का उल्लेख न करें। उद्धृत मामलों में, बिना किसी सहायता के राहत प्रदान की गई थी राम चंदर सिंह सागर (सुप्रा) में निर्धारित लंबे समय से चले आ रहे अनुपात को नजरअंदाज करते हुए कानून की चर्चा।

17. धारा 406 सी. आर. पी. सी. के तहत शक्ति की रूपरेखा पर विचार करने के बाद, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि केवल मामले और अपील (नहीं

जांच) स्थानांतरित की जा सकती है। राम चंदर सिंह सागर और अन्न में अनुपात। (सुप्रा) मेरे विचार में, वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से लागू होता है।

धारा 174 सीआरपीसी प्रक्रिया का दायरा

मृत्यु। ये जाँच की प्रकृति में नहीं हैं, जो बाद में की गई हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करना। इस मामले में मुंबई में अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। मुंबई पुलिस के पास भी नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 (2) के तहत मामले पर विचार किया गया, एक संज्ञेय अपराध के होने का संदेह किया गया और न ही इसके तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आगे बढ़ाया गया

19. उपरोक्त पहलू पर, मनोज के. शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2016) 9 एस. सी. सी. 1 के अनुपात की जांच की जाएगी। यह एक मामला था फाँसी देकर आत्महत्या और न्यायमूर्ति एम. बी. लोकुर ने पीठ की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

20] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 19. धारा 174 के तहत कार्यवाही बहुत सीमित है।

दायरा। कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि

क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है या एक अप्राकृतिक मृत्यु और यदि ऐसा है तो इसका स्पष्ट कारण क्या है

मृतक पर हमला किया गया था या जिसने उस पर हमला किया था या किसके तहत जिन परिस्थितियों में उन पर हमला किया गया, वे इसके दायरे के लिए विदेशी हैं और

न तो व्यवहार में और न ही कानून में पुलिस के लिए इसकी आवश्यकता थी जाँच रिपोर्ट में उन विवरणों का उल्लेख करना। अतः यह है कि

में स्पष्ट कृत्यों के सभी विवरण दर्ज करना आवश्यक नहीं है

जाँच रिपोर्ट। धारा 174 के तहत प्रक्रिया के लिए है

मृत्यु के कारण का पता लगाने का उद्देश्य, और साक्ष्य

लिया गया बहुत छोटा था।

20. ..... संहिता की धारा 174 और 175 में एक पूर्ण प्रावधान है।

के मामलों में "पूछताछ" के उद्देश्य से कोड अपने आप में आकस्मिक या संदिग्ध मौतें और पूरी तरह से अलग हैं

संहिता की धारा 157 के तहत "जांच"।

****

****

****

****

****

22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि

संहिता की धारा 174 के तहत एक जांच पर जांच है धारा के तहत विचार किए गए जांच से अलग

154 एक संज्ञेय आयोग से संबंधित संहिता

अपराध "।

20. वर्तमान मामले में, मुंबई पुलिस ने कोई प्राथमिकी दर्ज किए बिना धारा 174 के दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया है और इसलिए,

जैसा कि यह प्रतीत होता है, एक संज्ञेय आयोग के अनुसार कोई जांच नहीं मुंबई पुलिस अपराध को अंजाम दे रही है। उनका पंजीकरण होना बाकी है।

एक एफ. आई. आर.। न ही उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 (2) के संदर्भ में कोई उपयुक्त निर्धारण किया है। इसलिए, यह मान लेना पूर्व-शून्य और अपरिपक्व है कि मुंबई पुलिस द्वारा एक समानांतर जांच की जा रही है। अलग-अलग क्षेत्राधिकारों में दो अदालतों द्वारा संज्ञान लिए जाने की भविष्य की संभावना के मामले में, इस मुद्दे को सीआरपीसी की धारा 186 और अन्य लागू कानूनों के तहत हल किया जा सकता है। इसलिए भविष्य की आकस्मिकता पर कोई राय व्यक्त नहीं की जाती है और इस मुद्दे को कानून के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो तय करने के लिए खुला छोड़ दिया जाता है।

आरएचईए चक्रवर्ती बनाम। बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [ऋषिकेश रॉय, जे।]

21. उपरोक्त के बाद, यह घोषित किया जाता है कि मुंबई पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 174 के तहत की गई जांच एक निश्चित अवधि के लिए सीमित है।

उद्देश्य लेकिन धारा 157 के तहत अपराध की जांच नहीं है

सीआरपीसी।

पंजीकरण के लिए पटना पुलिस का न्यायनिर्णयन

शिकायत

22. प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपनी शिकायत में एक संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया और इसलिए, पुलिस के लिए यह दायित्व था कि

एफ. आई. आर. दर्ज करें और जाँच शुरू करें। शिकायतकर्ता के अनुसार, पटना से अपने बेटे से टेलीफोन पर बात करने के उसके प्रयास को आरोपी व्यक्तियों ने विफल कर दिया और पिता के बेटे की सगाई के माध्यम से उसके बेटे की जान बचाने की संभावना से चूक गए। नतीजतन, शिकायतकर्ता ने अपना इकलौता बेटा खो दिया, जिससे उचित समय पर, जैसा कि विद्वान वकील ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है, पिता की चिता को जलाने की उम्मीद की गई थी। 23. जब पुलिस को संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य होता है। पूर्ववर्ती सुझाव देते हैं कि जाँच के स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि संबंधित पुलिस स्टेशन के पास मामले की जाँच करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस पहलू पर ललिता कुमारी बनाम सरकार में अनुपात। उत्तर प्रदेश (2014) 2 एस. सी. सी. 1 प्रासंगिक है जहाँ संविधान पीठ की ओर से मुख्य न्यायाधीश पी. सतशिवम ने निम्नानुसार कहाः

“ 120.1 . संहिता की धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है, यदि जानकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है और ऐसी स्थिति में कोई प्रारंभिक जांच की अनुमति नहीं है।

120.2 . यदि प्राप्त जानकारी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, लेकिन जांच की आवश्यकता का संकेत देती है, तो प्रारंभिक जांच केवल यह पता लगाने के लिए की जा सकती है कि संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया है या नहीं। ”

दिल्ली) (1999) 8 एस. सी. सी. 728 डिवीजन बेंच के लिए, न्यायमूर्ति एम. बी. शाह नीचे लिखा हैः

" 12. उपरोक्त धाराओं को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि धारा 177 जांच के "सामान्य" स्थान या [2020] 7 एस. सी. आर. का प्रावधान करती है।

मुकदमा। धारा 178, अन्य बातों के साथ-साथ, जांच या मुकदमे के स्थान का प्रावधान करती है जब यह अनिश्चित हो कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस में अपराध किया गया था या जहां अपराध आंशिक रूप से एक स्थानीय क्षेत्र में और आंशिक रूप से दूसरे में किया गया था और जहां इसमें विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्य शामिल थे, तो ऐसी किसी भी स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाली अदालत द्वारा इसकी जांच या मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए, जाँच के स्तर पर,

यह नहीं माना जा सकता है कि एस. एच. ओ. के पास क्षेत्रीय अधिकार नहीं हैं।

अपराध की जाँच करने का अधिकार क्षेत्र।

25. इसी तरह, न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत, वाई अब्राहम अजीत बनाम पुलिस के ईक्टर, चेन्नई और अन्र में। (2004) 8 एस. सी. सी. 100, लिखने के लिए

डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार फैसला सुनाया -

" 12. महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा संबंधित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है। संहिता की धारा 177 के संदर्भ में, यह वह स्थान है जहाँ अपराध किया गया था। वास्तव में यह कार्रवाई का कारण है

अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए।

13. जबकि दीवानी मामलों में, आम तौर पर "कार्रवाई का कारण" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है, आपराधिक मामलों में जैसा कि संहिता की धारा 177 में कहा गया है, संदर्भ स्थानीय क्षेत्राधिकार के लिए है जहां -

अपराध किया जाता है। व्युत्पत्ति में ये भिन्नताएँ

अभिव्यक्ति वास्तव में स्थिति को अलग नहीं करती है। इसलिए, "कार्रवाई का कारण" अभिव्यक्ति आपराधिक मामलों के लिए एक अजनबी नहीं है।

14. यह तय कानून है कि कार्रवाई के कारण में तथ्यों का एक समूह होता है, जो अदालत में निवारण के लिए कानूनी जांच को लागू करने का कारण देता है। दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का एक बंडल है, जो उन पर लागू कानून के साथ लिया जाता है, कथित रूप से प्रभावित पक्ष को उनके खिलाफ राहत का दावा करने का अधिकार देता है।

विरोधी। इसमें बाद वाले द्वारा किया गया कुछ कार्य शामिल होना चाहिए क्योंकि

इस तरह के एक अधिनियम की अनुपस्थिति संभवतः कार्रवाई का कोई कारण नहीं होगा

जमा होता है या उत्पन्न होता है।

26. जब विश्वास के आपराधिक उल्लंघन का आरोप और

न्यायक्षेत्र संबंधी पहलू पर, इस न्यायालय ने असित तचरजी बनाम हनुमान प्रसाद ओझा (2007) 5 एस. सी. सी. 786 में न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा द्वारा लिखित पीठ में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

आरएचईए चक्रवर्ती बनाम। बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [ऋषिकेश रॉय, जे।]

" 21. धारा 181 कुछ अपराधों के मामले में मुकदमे के स्थान का प्रावधान करती है। धारा 181 की उप-धारा (4) को दंड प्रक्रिया संहिता में 1973 में लागू किया गया था।

आपराधिक गबन के अपराध के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में टकराव और

आपराधिक विश्वासघात और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह प्रावधान किया गया था कि इस तरह के अपराध की जांच या मुकदमा उस अदालत द्वारा किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में आरोपी कानून द्वारा या लेखा देने या वापस करने के अनुबंध द्वारा बाध्य था।

सौंपी गई संपत्ति, लेकिन उस दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही। 22. इसमें पहले उल्लिखित प्रावधान स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं

कि भले ही कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा उत्पन्न हुआ हो, संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित है

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) के तहत संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास होगा -

जाँच करने का अधिकार क्षेत्र '।

27. नरेश कवरचंद खत्री बनाम गुजरात राज्य (2008) 8 एस. सी. सी. 300 के बाद के फैसले में, इस न्यायालय ने अनुपात को दोहराया सतविंदर कौर (ऊपर) और असित भट्टाचार्जी (ऊपर)।

28. एक बार फिर, रसिकलाला दलपतराम ठक्कर बनाम गुजरात राज्य (2010) 1 एस. सी. सी. 1 में, पहले के निर्णयों को मंजूरी देते हुए

सतविंदर कौर (ऊपर) ने न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर द्वारा दिए गए फैसले में, जैसा कि वे उस समय थे, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि एक पुलिस अधिकारी क्षेत्रीय आधार पर किसी मामले की जांच करने से बच नहीं सकता है और इस मुद्दे पर जांच के समापन के बाद निर्णय लिया जा सकता है। यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" 27. हमारे विचार में, निचली अदालत के साथ-साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय दोनों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के प्रावधानों की सही व्याख्या की थी ताकि यह माना जा सके कि यह दंड प्रक्रिया संहिता के अधिकार क्षेत्र में नहीं था।

जाँच एजेंसी केवल इस निष्कर्ष पर पहुँचने पर कि अपराध उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए थे, एक उचित और पूर्ण जाँच करने से खुद को दूर रखे।

29. इसके अलावा, आपराधिक विश्वासघात और धन के दुरुपयोग से संबंधित आरोप जिनका अंततः हिसाब किया जाना था

क्योंकि पटना में (जहाँ शिकायतकर्ता रहता है), प्रथम दृष्टया पटना पुलिस के वैध अधिकार क्षेत्र का संकेत दे सकता है। इस पहलू को संक्षेप में [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायमूर्ति जे. एस. खेहर द्वारा, सैमसंग निगम, दक्षिण कोरिया के अध्यक्ष ली कुन ही और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामलों की खंड पीठ के सदस्य के रूप में। (2012) 3 एस. सी. सी. 132 और यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 38 ******

181.कुछ अपराधों के मामले में मुकदमे का स्थान। - (1) - (3) ***

(4) आपराधिक गबन या आपराधिक उल्लंघन का कोई अपराध

न्यास की जांच या मुकदमा किसी ऐसे न्यायालय द्वारा चलाया जा सकता है जिसके भीतर स्थानीय

अधिकार क्षेत्र अपराध या संपत्ति का कोई हिस्सा किया गया था

जो अपराध का विषय है, उसे प्राप्त किया गया था या बरकरार रखा गया था, या अभियुक्त द्वारा वापस किए जाने या हिसाब किए जाने की आवश्यकता थी

व्यक्ति "।

उपरोक्त प्रावधान का अवलोकन किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है,

कि प्रकृति के अपराधों में जो विषय हैं-विचार का विषय

वर्तमान विवाद में, वह न्यायालय जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में,

विचार का पूरा या एक हिस्सा होना आवश्यक था।

लौटाया गया या लेखा लिया गया। "

बात है "।

30. इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून को ध्यान में रखते हुए जैसा कि उल्लेख किया गया है

ऊपर, यह माना जाना चाहिए कि पटना पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में कोई अवैधता नहीं की है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, जो गबन और विश्वासघात से भी संबंधित हैं, बिहार पुलिस द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उचित प्रतीत होता है। जाँच के स्तर पर, उन्हें मुंबई पुलिस को एफ़. आई. आर. स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसी कारण से, बिहार सरकार सी. बी. आई. को जांच सौंपने के लिए सहमति देने में सक्षम थी और इसलिए सी. बी. आई. द्वारा चल रही जांच को विधिसम्मत माना जाता है।

मुंबई पुलिस से पहले विकल्प

31. पटना पुलिस हालांकि जाँच करने में सक्षम पाई गई

शिकायत में आरोप, एफ़. आई. आर. से पता चलता है कि शिकायत में कथित अधिकांश लेन-देन/घटनाएं महाराष्ट्र राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर हुईं। मुंबई पुलिस शिकायतकर्ता के बेटे की अप्राकृतिक मौत की जांच कर रही थी।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174। अब तक उनकी जांच का कोई नतीजा नहीं निकला है

कोई एफ. आई. आर.

आपराधिक पहलुओं, यदि कोई हो, पर जांच शुरू करने का सुझाव देना। हालाँकि, शिकायत में उल्लिखित घटनाएं आर. एच. ई. ए. चक्रवर्ती v. का संकेत देती हैं।

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [ऋषिकेश रॉय, जे।]

कि मुंबई पुलिस के पास उन परिस्थितियों की जाँच करने का अधिकार क्षेत्र भी है। इसलिए, मुंबई में भी मामला दर्ज होने की स्थिति में, डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 6 के तहत सी. बी. आई. द्वारा जांच के लिए सहमति सक्षम रूप से दी जा सकती है -

महाराष्ट्र सरकार।

सी. बी. आई. में जांच का प्रवेश

32. जबकि सी. बी. आई. धारा 6 के तहत अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य की सहमति के बिना कोई जांच नहीं कर सकती है, संवैधानिक न्यायालयों की शक्तियां डी. एस. पी. ई. अधिनियम के वैधानिक प्रतिबंधों से बाधित नहीं हैं। इस प्रस्ताव के लिए, कोई भी उपयोगी रूप से पश्चिम बंगाल राज्य बनाम संपत लाल (1985) 1 एस. सी. सी. 317 का उल्लेख कर सकता है जहाँ न्यायमूर्ति

रंगनाथ मिश्रा ने 3 न्यायाधीशों की पीठ के लिए अपने फैसले में कहा किः

" 13 ..... यह निश्चित रूप से वर्तमान स्तर पर इस न्यायालय के लिए जांच करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं है कि क्या यह आत्महत्या या हत्या का मामला था। यदि जाँच के परिणामस्वरूप, साक्ष्य एकत्र किया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है, तो सत्र न्यायाधीश उस विवाद का फैसला करेंगे और यह हो सकता है कि नियत समय में इस तरह के विवाद को किसी न किसी रूप में इस न्यायालय के समक्ष प्रचारित किया जा सकता है। इसलिए, इस स्तर पर इस तरह के प्रश्न में प्रवेश करना पूरी तरह से अनुचित होगा... हमारी सुविचारित राय में, अधिनियम की धारा 6 तब लागू नहीं होती है जब न्यायालय सी. बी. आई. को निर्देश देता है कि वह

जांच और पक्षकारों के वकील ने इस स्थिति पर विवाद नहीं किया।

33. इसी तरह, संविधान पीठ ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम राज्य के संरक्षण के लिए समिति में न्यायमूर्ति डी. के. जैन द्वारा लिखित निर्णय में कहा कि

लोकतांत्रिक अधिकार (2010) 3 एस. सी. सी. 571 निम्नानुसार घोषित हैः

" 68. इस प्रकार, संवैधानिक योजना के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी विवादों की जांच करने के बाद, हम इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हैंः
(v) संविधान द्वारा संसद पर प्रतिबंध और किसी अधिनियम के तहत संसद द्वारा कार्यपालिका पर प्रतिबंध, इसके तहत न्यायपालिका की शक्ति पर प्रतिबंध नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 32 और 226।

(vi) यदि एक ओर सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 2 और दूसरी ओर सूची I की प्रविष्टि 2-ए और प्रविष्टि 80 के संदर्भ में, किसी अन्य एजेंसी द्वारा जांच की अनुमति है।

संबंधित राज्य द्वारा सहमति प्रदान किए जाने के अधीन, इस बात का कोई कारण नहीं है कि क्यों, एक असाधारण स्थिति में, न्यायालय को उसी शक्ति का प्रयोग करने से रोका जाएगा जिसका प्रयोग संघ क़ानून के प्रावधानों के संदर्भ में कर सकता है। हमारी राय में, इस तरह की शक्ति का प्रयोग

संवैधानिक अदालतें सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करेंगी

शक्तियों का पृथक्करण। वास्तव में, यदि ऐसी स्थिति में न्यायालय राहत देने में विफल रहता है, तो यह अपने संविधान में विफल रहेगा।

कर्तव्य।

(vii) जब विशेष पुलिस अधिनियम स्वयं यह प्रावधान करता है कि राज्य की सहमति के अधीन, सी. बी. आई. इन मामलों में जांच कर सकती है।

अपराध के संबंध में जो अन्यथा के भीतर था

राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र में, न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी संवैधानिक शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है और सी. बी. आई. को राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर जांच करने का निर्देश दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति

विशेष पुलिस अधिनियम की धारा 6 द्वारा इसे हटाया, घटाया या हल्का नहीं किया जा सकता है। न्यायालयों की शक्तियों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य करने वाला कोई भी वैधानिक प्रावधान होने के बावजूद, संघ की शक्तियों पर विशेष पुलिस अधिनियम की धारा 6 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को संवैधानिक न्यायालयों की शक्तियों पर प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसलिए व्यायाम करें।

उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति, हमारी राय में, किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगी

शक्ति का पृथक्करण या संघीय संरचना। '

34. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पटना में प्राथमिकी को बाद में बिहार सरकार की सहमति से सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था।

यह स्थानांतरण याचिका। हालाँकि, भविष्य में, यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 (2) के तहत संज्ञेय अपराध का निर्धारण किया जाता है, तो इसके समानांतर होने की संभावना है।

मुंबई पुलिस द्वारा जाँच से इनकार नहीं किया जा सकता है। डी. एस. पी. ई. अधिनियम, 1946 की धारा 6, जिसे धारा 5 के साथ पढ़ा जाता है, सी. बी. आई. को जांच सौंपने से पहले राज्य सरकार से सहमति की आवश्यकता निर्धारित करती है। चूंकि सी. बी. आई. पहले ही मामला दर्ज कर चुकी है और शुरू कर चुकी है।

बिहार सरकार के कहने पर जाँच, अनिश्चितता और भ्रम से बचा जाना चाहिए, अगर मुंबई पुलिस भी जाँच की कार्यवाही में उनके निष्कर्षों के आधार पर संज्ञेय अपराध की जाँच करने का निर्णय लेती है। इसलिए, इस

स्तर पर ही यह निर्णय लेना उचित होगा कि सभी आर. एच. ई. ए. चक्रवर्ती बनाम की जाँच किसे करनी चाहिए।

बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [ऋषिकेश रॉय, जे।]

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों में भाग लेना। यह मुद्दा तभी प्रासंगिक हो जाता है जब इसी मुद्दे पर मुंबई में एक और प्राथमिकी दर्ज की जाती है। इस मुद्दे पर इस न्यायालय का निर्णय जाँच को वैधता प्रदान करेगा।

जाँच पर निर्देश

35. दोनों राज्य सरकारों के बीच संघर्ष, जो

इन दोनों में से एक मामले की जांच करने के लिए सक्षम है, यहाँ स्पष्ट है। के. वी. राजेंद्रन बनाम। पुलिस अधीक्षक, सीबीसीआईडी, चेन्नई

& ओआरएस। (2013) 12 एस. सी. सी. 480, न्यायमूर्ति डॉ. बी. एस. चौहान द्वारा लिखित निर्णय में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने और जनता के मन में सीधा विश्वास पैदा करने के लिए दुर्लभ और असाधारण मामलों में जांच का हस्तांतरण होना चाहिए। जबकि मुंबई पुलिस द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के तहत सीमित जांच में उठाए गए कदमों को इस अदालत के समक्ष उपलब्ध सामग्री पर दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हितधारकों द्वारा अनुचित होने की आशंका व्यक्त की गई है।

जाँच, इस न्यायालय को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि सच्चाई की खोज एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा की जाए, न कि दोनों में से किसी भी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच और जांच प्राधिकरण की विश्वसनीयता की रक्षा की जानी चाहिए।

36. सी. बी. आई. द्वारा चल रही जाँच को विधिसम्मत माना जाता है। में।

यदि इसी मुद्दे पर मुंबई में एक नया मामला दर्ज किया जाता है, तो चीजों की योग्यता में, यह उचित होगा यदि बाद वाला मामला भी हो जाता है। इस न्यायालय के आदेश के बल पर उसी एजेंसी द्वारा जाँच की गई। इस तरह के सक्षम आदेश से डी. एस. पी. ई. अधिनियम की धारा 6 की कठोरता से बचते हुए सी. बी. आई. के लिए नए मामले की जांच करना संभव हो जाएगा, जिसके लिए महाराष्ट्र राज्य से सहमति की आवश्यकता होगी।

37. मोनिका कुमार (डॉ.) और अन्य। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

और अन्य (2008) 8 एस. सी. सी. 781, न्यायमूर्ति एल. एस. पंता ने अपने निर्णय में इस न्यायालय को प्रदत्त अंतर्निहित शक्ति का उल्लेख किया और निम्नलिखित कहाः

" 45. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय ने

किसी भी "कारण" में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश या "मामला" इसके समक्ष लंबित है। अभिव्यक्ति "कारण" या

" इस मामले में अदालत में लंबित कोई भी कार्यवाही शामिल होगी और

इसमें अदालत में लगभग हर तरह की कार्यवाही शामिल होगी।

सिविल या आपराधिक सहित।

अनुच्छेद 142 (1) के तहत "पूर्ण न्याय" करने की शक्ति पूरी तरह से अलग स्तर की और एक अलग गुणवत्ता की है। क्या होगा?

किसी मामले या मामले में "पूर्ण न्याय" की आवश्यकता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और उस शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय इस पर विचार करेगा।

एक मूल क़ानून के स्पष्ट प्रावधानों पर विचार करें।

सामान्य कानूनों में निहित कोई भी निषेध या प्रतिबंध

इस न्यायालय की संवैधानिक शक्ति पर एक सीमा के रूप में कार्य नहीं कर सकते। एक बार जब इस न्यायालय को पहले किसी कारण या मामले का पता चल जाता है

इसे पूरा करने के लिए कोई आदेश या निर्देश जारी करने की शक्ति है।

न्याय "मामले में"। })

इस मामले में विशिष्ट परिस्थितियों के लिए आवश्यक है कि इस मामले में पूर्ण न्याय किया जाए। इसे कैसे प्राप्त किया जाए, यह अब तय किया जाना चाहिए। 39. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, क्योंकि दोनों राज्य एक-दूसरे के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप के तीखे आरोप लगा रहे हैं,

इंगित और लोगों ने अपने स्वयं के अनुमानों और सिद्धांतों को सामने रखने की स्वतंत्रता ली है। जिम्मेदार या अन्यथा इस तरह की टिप्पणियों ने अटकलबाजी वाले सार्वजनिक विमर्श को जन्म दिया है जिसने मीडिया को सुर्खियों में ला दिया है। दुर्भाग्य से इन घटनाओं में जांच में देरी करने और गलत दिशा देने की प्रवृत्ति है। ऐसी स्थिति में, सच्चाई के हताहत होने और न्याय के पीड़ित होने की उचित आशंका है। 40. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुंबई फिल्म जगत के एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे और अपनी पूरी क्षमता का एहसास होने से पहले ही उनका निधन हो गया। उनका परिवार, दोस्त और प्रशंसक जांच के परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि चारों ओर चल रही सभी अटकलों को शांत किया जा सके। इसलिए एक निष्पक्ष, सक्षम और निष्पक्ष जांच समय की आवश्यकता है। तब अपेक्षित परिणाम शिकायतकर्ता के लिए न्याय का एक उपाय होगा, जिसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। याचिकाकर्ता के लिए भी यह वांछित न्याय होगा क्योंकि उन्होंने खुद सीबीआई जांच की मांग की थी। निष्पक्ष जांच के माध्यम से वास्तविक तथ्यों का प्रसार निश्चित रूप से निर्दोष लोगों के लिए न्याय का परिणाम होगा, जो बदनामी अभियान का लक्ष्य हो सकते हैं। समान रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जांच की अखंडता और विश्वसनीयता स्पष्ट होगी, तो न्यायिक प्रक्रिया में आम आदमी का विश्वास, विश्वास और विश्वास प्रतिध्वनित होगा।

जब सच्चाई आर. एच. ई. ए. चक्रवर्ती बनाम से मिलती है। बिहार राज्य और ओ. आर. एस. [ऋषिकेश रॉय, जे।]

धूप, न्याय केवल जीवित लोगों पर ही नहीं, बल्कि जीवन के स्वस्थ बुखार के बाद, अब दिवंगत भी अच्छी नींद लेंगे। सत्यमेव जयते।

41. ऐसी पृष्ठभूमि में, जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए

इस मामले में जांच करने और पूर्ण न्याय करने के लिए, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करना उचित समझता है।

संविधान। सौंपे गए लोगों के लिए वैध अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय के रूप में रोस्टर, वर्तमान मामले में पूर्ण शक्ति के प्रयोग के लिए कोई बाधा नहीं देखी जाती है। इसलिए चल रही सी. बी. आई. की मंजूरी के अनुसार

जाँच, यदि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु और उसके आसपास की अप्राकृतिक परिस्थितियों पर कोई अन्य मामला दर्ज किया जाता है

मृत्यु के बाद, सी. बी. आई. को नए मामले की भी जांच करने का निर्देश दिया जाता है। इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।

42. विदा लेने से पहले, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में निष्कर्ष और टिप्पणियां केवल इस याचिका के निपटारे के लिए हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए।

43. स्थानांतरण याचिका का निपटारा उपरोक्त आदेश के साथ किया जाता है।

अंकित ज्ञान

स्थानांतरण याचिका का निपटारा किया गया।